

अध्याय-II: माल एवं सेवा कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य के करदाताओं से संबंधित कानूनों के अंतर्गत देय माल एवं सेवा कर/मूल्य परिवर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर से प्राप्तियां सरकार के स्तर पर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (वित्त) द्वारा प्रशासित की जाती है। मुख्य आयुक्त, राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) के प्रमुख होते हैं और उनकी सहायता के लिए 26 अतिरिक्त आयुक्त, 57 उपायुक्त (डीसी), 110 सहायक आयुक्त (एसी), 164 वाणिज्यिक कर अधिकारी (सीटीओ), 431 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (एसीटीओ) और एक वित्तीय सलाहकार (एफए) कार्यरत हैं। संबंधित कर कानूनों और नियमों को प्रशासित करने के लिए उन्हें कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य संबद्ध कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2022-23 के दौरान, विभाग ने पिछले वर्षों से संबंधित 244 प्रकरणों में ₹ 7.58 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसके समक्ष विभाग ने 233 प्रकरणों में ₹ 7.32 करोड़ वसूल/समायोजित किये।

वृत्त (लेखापरीक्षित इकाई) स्तर पर सामान्य जोखिम मूल्यांकन के बजाय, जीएसटी के तहत लेखापरीक्षा एक डेटा आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से की गई थी जो पंजीयन, विवरणी जांच, आगत कर जमा (आईटीसी), कर भुगतान, ई-वे बिल प्रणाली इत्यादि जैसे क्षेत्रों में अधिक व्यापक विषय-वस्तु जोखिम मूल्यांकन प्रदान करती है। इसलिए, विशिष्ट विषय के लिए करदाता अभिलेखों की जांच के लिए उच्च जोखिम वाले लेनदेन/मामलों को डेटा विश्लेषण के माध्यम से केंद्रीय रूप से चयनित किया गया है।

इस नई कर व्यवस्था के अंतर्गत दो विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाएं की गईं: कर अनुपालन के लिए विभाग के नियंत्रण और निगरानी तंत्र के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए (i) जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी -चरण II, और (ii) ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली।

इन दोनों विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाओं से संबंधित निष्कर्षों पर आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.3 'माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा चरण-II

2.3.1 प्रस्तावना

जुलाई 2017 से लागू किया गया माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देश में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था। इसने देश में कराधान के लिए सहकारी संघवाद के एक नए युग की शुरुआत की, जिससे देश एक साझा बाजार बन गया, जिसमें केंद्र और राज्य एक ही समय में एक समान कर दर के आधार पर कर लगाते हैं। इस सुधार ने मौजूदा विविध कर

संरचनाओं को एकीकृत करके और सीमा पार इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देकर कराधान के कास्केडिंग प्रभाव को कम करने के मामले में दूरगामी प्रभाव डाला। सरलीकृत कर संरचनाओं, मजबूत आईटी प्रणाली और कम हस्तक्षेपकारी प्रशासन के साथ, इस सुधार से अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में उच्च पारदर्शिता और बेहतर अनुपालन अपेक्षित था। जीएसटी लागू होने के सात वर्ष बाद, कर पारिस्थितिकी तंत्र प्रशासन के साथ-साथ करदाताओं की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित हो रहा है। लगातार बढ़ते कर आधार के साथ, जीएसटी राजस्व सरकार के कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण घटक है।

जीएसटी प्रावधानों में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति देय करों का स्वमूल्यांकन करेगा, उसका भुगतान करेगा तथा प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा। जीएसटी विवरणी को कॉमन जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर शास्ती लगायी जाएगी। यहां तक कि अगर किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय की कोई कर देयता नहीं है, तब भी उसे अनिवार्य रूप से शून्य विवरणी दाखिल करनी होगी। विभिन्न श्रेणी के करदाताओं जैसे सामान्य करदाता, कम्पोजिशन करदाता, आकस्मिक करदाता, अनिवासी करदाता, ई-कॉमर्स संचालक आदि के लिए उनके व्यवसाय की प्रकृति और प्रत्येक श्रेणी की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, विवरणी के लिए अलग-अलग प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता भी तदनुसार बदलती रहती है।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) को वर्ष 2022-23 (चरण I) के दौरान किये गये एसएससीए की निरंतरता के रूप में लिया गया था, जिसमें इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र और वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग), राजस्थान सरकार के निगरानी तंत्र के महत्व पर विचार किया गया था।

2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जीएसटी प्रणाली के तहत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की ओर उन्मुख थी। जीएसटी के भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी की लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई थी:-

(i) क्या नियमों और प्रक्रियाओं को कर अनुपालन पर एक प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था तथा करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और

(ii) क्या वृत्तों की जांच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

2.3.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में करदाताओं द्वारा की गयी अनुपालना की जांच, संवीक्षा प्रक्रिया और पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणी पर बाद में विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही

शामिल थी। इसके अतिरिक्त, एसएससीए में वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए करदाताओं के नमूने के अभिलेखों की समीक्षा शामिल थी। इस एसएससीए के कार्यक्षेत्र में चयनित वृत्तों के कार्यों का मूल्यांकन भी सम्मिलित था।

विवरणियों की संवीक्षा एवं करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा की अवधि 2018-19 से 2020-21 तक थी तथा चयनित वृत्तों की कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा 2020-21 की अवधि के लिए थी।

2.3.4 लेखापरीक्षा पद्धति एवं नमूना चयन

योजना बनाने के साथ-साथ मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए एक डेटा संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस एसएससीए के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा हेतु डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचान किए गए विचलनों का एक समूह शामिल था जिसमें क्षेत्रीय दौरे शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें क्षेत्रीय दौरे एवं विभागीय परिसर में करदाता के अभिलेखों की जांच शामिल थी; तथा वृत्तों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए वृत्तों की एक नमूना लेखापरीक्षा शामिल थी।

(i) भाग-I वृत्तों की लेखापरीक्षा

निगरानी कार्यों के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु, 135 नियमित वृत्तों में से, 10 वृत्तों, जिनके क्षेत्राधिकार में विस्तृत लेखापरीक्षा के तहत अधिकतम संख्या में नमूना मामले थे, उन वृत्तों को छोड़कर जिन्हें एसएससीए चरण-I में पहले ही लेखापरीक्षा किया जा चुका था, को उनके निगरानी कार्यों के मूल्यांकन के लिए वृत्तों के नमूने के रूप में माना गया था।

(ii) भाग-II केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने माल एवं सेवा कर नेट वर्क (जीएसटीएन) द्वारा उपलब्ध कराए गए 2018-19 से 2020-21 तक संबंधित जीएसटी विवरणी डेटा का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल की गयी जीएसटी विवरणी के बीच नियम-आधारित विचलन एवं तार्किक विसंगतियों की पहचान 16 मापदण्डों के एक समूह, जैसे कि वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आगत कर जमा (आईटीसी) का मिसमैच, ब्याज का कम भुगतान, आईटीसी का मिसमैच इत्यादि, पर की गई थी। तदनुसार, विभाग की जांच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों से उच्च-मूल्य या उच्च-जोखिम विचलन एवं विवरणियों के बीच विसंगतियों के आधार पर इस एसएससीए के तहत केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 532 करदाताओं का चयन किया गया था। करदाता के अभिलेखों की आगे जांच किए बिना लेखापरीक्षा आक्षेपों को संबंधित निर्धारण वृत्तों को जारी किया गया था।

(iii) भाग-III विस्तृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 100 प्रकरणों (स्वनन गतिविधियों के 20 मामलों सहित) का चयन किया, जिसमें निर्धारण वृत्तों

के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय दौरे शामिल थे। करदाताओं द्वारा कर-अनुपालना की सीमा के मूल्यांकन के लिए करदाताओं के अभिलेखों जैसे विवरणी एवं संबंधित संलग्नक और सूचना को वृत्तों के माध्यम से एकसेस किया गया था। लेखापरीक्षा ने बैक-एंड सिस्टम (जैसे पंजीयन, कर भुगतान, विवरणी और अन्य विभागीय कार्यों) में करदाताओं से संबंधित डेटा/दस्तावेजों की जांच करने के लिए अधिकतम संभव सीमा तक प्रदान की गई सिंगल साइन ओन यूजर आईडी (एसएसओआईडी) का उपयोग किया। संबंधित निर्धारण वृत्तों के माध्यम से करदाताओं से संबंधित विस्तृत अभिलेख जैसे चालान आदि, प्राप्त करने के प्रयास किए गए।

इस एसएससीए पर परिचयात्मक बैठक 21 अप्रैल 2023 को सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, मुख्य आयुक्त, राज्य कर तथा राज्य सरकार व विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। समापन परिचर्चा 03 मार्च 2025 को सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, मुख्य आयुक्त, राज्य कर और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों एवं प्रारूप अनुच्छेद पर प्राप्त लिखित उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी)/राजस्थान माल एवं सेवा कर (आरजीएसटी) अधिनियम, एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। इसके अलावा, राज्य कर विभाग द्वारा विवरणी दाखिल करने, विभिन्न विवरणी दाखिल करने की प्रभावी तारीखों को अधिसूचित करने, विवरणी दाखिल करने की नियत तारीखों को बढ़ाने, माल और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाने एवं उपयोग करने इत्यादि के संबंध में जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र, विवरणी की जांच एवं कर-अनुपालन की निगरानी तथा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जिसमें विवरणी दाखिल करने, विवरणी की जांच करने, पंजीकरण को रद्द करने तथा विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) की रिपोर्ट का सत्यापन करने इत्यादि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को दिए गए निर्देश आदि भी लेखापरीक्षा मानदंड में सम्मिलित किये गये।

2.3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष- विभाग का अनुपालना सत्यापन तंत्र (पार्ट-1)

वृत्तों की भूमिका करदाताओं द्वारा घोषित कर योग्य मूल्य की यथार्थता, कर देनदारियों की गणना और भुगतान, विवरणी दाखिल करने आदि के संबंध में अनुपालना सुनिश्चित करना है। वृत्तों के पास इस संबंध में प्रयोग किए जाने वाले कार्यों का एक विस्तृत समूह है, जिनका मूल्यांकन इस एसएससीए के एक भाग के रूप में किया गया था।

दो संभावित लेखापरीक्षा क्षेत्रों की पहचान की गई थी यथा (i) जांच और मूल्यांकन की प्रभावशीलता (ii) विलम्ब से दाखिल करने वालों एवं गैर-दाखिलकर्ताओं पर कार्यवाही।

तदनुसार, चयनित 10 वृत्तों से 2020-21 की अवधि के लिए संबंधित अभिलेख और जानकारी मांगी गई थी।

2.3.6.1 विभाग के जाँच कार्यों की प्रभावशीलता

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, उचित अधिकारी द्वारा करदाताओं द्वारा दाखिल विभिन्न विवरणियों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए उनकी जांच की जानी चाहिए, और विवरणियों में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति या अनियमितताओं पर उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए नामित उचित अधिकारी वृत्ताधिकारी है। इसके अलावा, आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 99 में कहा गया है कि विसंगतियां, यदि कोई हो तो, करदाता को उसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन करते समय, राजस्थान सरकार ने आदेश सं. एफ.9(3) एफडी/टैक्स/2020 दिनांक 24.09.2021 के तहत बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (बीआईयू) का गठन किया।

इसके अलावा, विभाग ने परिपत्र संख्या एफ.17(151) एसीसीटी/ जीएसटी/2017/7602 दिनांक 07.01.2022 के माध्यम से एकरूपता सुनिश्चित करने तथा अधिनियम की धारा 61 के अनुसार जांच-कार्यवाही के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए विवरणियों की जांच पर विस्तृत दिशा निर्देश/एसओपी जारी की।

बीआईयू, पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति (आरटीपी) द्वारा जीएसटीएन पोर्टल पर प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, 12 जोखिम मानदंडों¹ के आधार पर, अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत विवरणियों की जांच के लिए प्रकरणों का चयन करता है। बीआईयू मुख्य आयुक्त राज्य कर से अनुमोदित चिन्हित आरटीपी की सूची प्राप्त करता है तथा इसे संबंधित संभाग को प्रेषित करता है जो उन्हें संबंधित आरटीपी पर क्षेत्राधिकार वाले उचित अधिकारियों को वितरित करता है।

1 जीएसटीआर 9/3बी की तुलना में जीएसटीआर 1 में अधिक निर्गत कर; जीएसटीआर 7 (टीडीएस) की तुलना में जीएसटीआर 3बी में दिखाया गया कम टर्नओवर; जीएसटीआर 8 (टीसीएस) की तुलना में जीएसटीआर 1 में दिखाया गया कम टर्नओवर; जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिखाए गए की तुलना में जीएसटीआर 9 में कम आरसीएम देयता दर्शाना; जीएसटीआर 3बी की तुलना में ई-वे बिल में अधिक निर्गत कर; जीएसटीआर 3बी/9 में दावा की गई अधिक आईटीसी जो जीएसटीआर 2ए/2बी या जीएसटीआर 9 में पुष्टि नहीं की गई है; धारा 16(4) के प्रावधान के अनुसार लाभ उठाने की अंतिम तिथि के बाद दाखिल किए गये जीएसटीआर में आपूर्तिकर्ता द्वारा अपलोड किए गए स्वरीद चालानों पर आईटीसी; उन आपूर्तिकर्ताओं से दावा की गई आईटीसी जिन्होंने जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं की है; उन आपूर्तिकर्ताओं से दावा की गई आईटीसी जिनकी आरसी रद्द कर दी गई है; उन करदाताओं से दावा की गई आईटीसी जिनकी आरसी शुरु से ही रद्द कर दी गई है; धारा 16(4) के अनुसार आईटीसी का लाभ उठाने की अंतिम तिथि के बाद आईटीसी का दावा और नियत तिथि के बाद दाखिल की गई जीएसटीआर 3बी और ब्याज का भुगतान नहीं किया गया या कम किया गया।

लेखापरीक्षा ने नमूने के तौर पर चुने गए दस वृत्तों² में पाया कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि से संबंधित 200 प्रकरणों की जांच विभाग द्वारा 2022-23 के दौरान की गई थी। इनमें से 24 प्रकरणों (12 प्रतिशत) में, प्राप्त आईटीसी में मिसमैच, कर देयता में मिसमैच और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत कर का भुगतान न करने से संबंधित विचलनों की जांच विभाग द्वारा संवीक्षा के दौरान नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, 21 प्रकरणों में मासिक विवरणी जीएसटीआर-3बी और स्वतः जनित इनपुट सप्लाइ स्टेटमेंट जीएसटीआर-2ए के बीच ₹ 0.84 करोड़ की राशि का आईटीसी मिसमैच, दो प्रकरणों में राशि ₹ 0.03 करोड़ का कर देयता में मिसमैच और एक मामले में आरसीएम के तहत ₹ 0.03 करोड़ की कर की अदायगी न करने, इस प्रकार वृत्तों द्वारा कुल ₹ 0.90 करोड़ की जांच नहीं की गई।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2024)। राज्य सरकार ने (मार्च 2025) 16 प्रकरणों³ में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए छह प्रकरणों में डीआरसी-07/डीआरसी-01 में नोटिस जारी किया और 10 प्रकरणों में ₹ 0.08 करोड़ वसूल किए। इसके अलावा, दो प्रकरणों की जांच चल रही थी और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद तीन मामलों में बिजनेस लेखापरीक्षा के तहत कार्रवाई की जा रही थी। एक प्रकरण के संबंध में, यह कहा गया था कि जीएसटीआर 9 में दिखाई गई राशि के अनुसार वसूली की गई है, तथापि, सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये/वसूली की राशि सूचित नहीं की गयी।

दो प्रकरणों में⁴, यह कहा गया था कि मिसमैच डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण था। तथापि, विभाग ने उत्तर के समर्थन में सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जिसके कारण लेखापरीक्षा विभाग के उत्तर की सत्यता का पता नहीं लगा सकी।

2.3.6.2 कर प्राधिकारियों द्वारा बिजनेस लेखापरीक्षा में विलम्ब करना

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के प्रावधानानुसार, आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा, किसी पंजीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाये, में लेखापरीक्षा कर सकेगा। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) के अनुसार लेखापरीक्षा से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि, जो उस समय प्रभाव में थी, के अधीन पंजीकृत व्यक्ति द्वारा संधारित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित टर्न ओवर, भुगतान किए गए करों, दावा किए गए रिफंड और उपभोग किए गए आगत कर की सत्यता को सत्यापित करने और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की प्रावधानों के अनुरूप उसके अनुपालन को निर्धारित करने के लिए परीक्षा अभिप्रेत है।

विभाग ने राजस्थान माल एवं सेवा कर लेखापरीक्षा नियमावली (आरजीएसटीएएम) 2020 में लेखापरीक्षा हेतु विस्तृत प्रक्रिया जारी की, जिसमें बीआईयू/बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड

2 वृत्त बूंदी, डी उदयपुर, ई उदयपुर, एफ जयपुर-द्वितीय, सिरौही, जे जयपुर-प्रथम, शाहजहाँपुर, बी भीलवाड़ा, बारां, मेड़ता सिटी।

3 वृत्त बूंदी, ई उदयपुर, एफ जयपुर-द्वितीय, सिरौही, जे जयपुर-प्रथम, शाहजहाँपुर, बी भीलवाड़ा, बारां।

4 वृत्त ई उदयपुर और मेड़ता सिटी।

एनालिटिक्स (बीआईएफए) द्वारा चिन्हित किए गए करदाताओं, स्थानीय स्फुफिया जानकारी, रद्द करदाताओं से स्वरीद इत्यादि जैसे जोस्मि मापदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए करदाताओं के चयन हेतु नए मानदंडों की प्रक्रिया को शामिल किया गया। इसमें उल्लेखित किया गया है कि लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का चयन मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन करते हुए (सितंबर 2021) लेखापरीक्षा विंग को सुदृढ़ किया और तीन स्तरीय बिजनेस लेखापरीक्षा तंत्र बनाया। जोस्मि मापदंडों के आधार पर आवंटित बड़े जटिल मामलों की जांच राज्य स्तर तथा संभाग स्तर की टीमों के द्वारा की जानी थी। शेष मामलों का निपटारा वृत्त स्तर पर किया जाना था।

जीएसटी के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग द्वारा की गई जीएसटी बिजनेस लेखापरीक्षा का विवरण नीचे तालिका 2.1 में दिया गया है:

तालिका 2.1

विभाग द्वारा की गयी जीएसटी बिजनेस लेखापरीक्षा का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल करदाताओं की संख्या	लेखापरीक्षा के लिए चयनित ⁵ करदाताओं की संख्या (प्रतिशत में)	वास्तविक संख्या जिनमें लेखापरीक्षा पूर्ण की गई (मार्च 2024 तक)	प्रकरणों की संख्या जिनमें कमियां पाई गई	कमियों में सम्मिलित कुल राशि	कुल वसूली
2019-20	8,94,334	2,019 (0.22 प्रतिशत)	947 (46.90 प्रतिशत)	912	237.20	114.98
2020-21	10,29,493	2,700 (0.26 प्रतिशत)	35 (1.30 प्रतिशत)	32	17.47	13.27

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित कुल करदाताओं की संख्या पांच प्रतिशत के मानदंडों के समक्ष 0.22 प्रतिशत और 0.26 प्रतिशत के बीच थी, जबकि 2020-21 में चयनित प्रकरणों में से दो प्रतिशत से भी कम प्रकरणों को विभाग द्वारा पूरा किया गया था।

उक्त धारा के तहत चार वृत्तों⁶ से संबंधित बिजनेस लेखापरीक्षा के 20 प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2024) के दौरान, यह पाया गया कि विभाग ने वार्षिक विवरणी से देखे गये एक प्रकरण में⁷ ₹ 6.08 लाख की कम आरोपित कर देयता की पहचान नहीं की।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि एससीएन जारी किया गया है।

समापन परिचर्चा के दौरान, मुख्य आयुक्त (राज्य कर) ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया और कहा कि पाँच प्रतिशत का मानदंड अधिनियम में निर्धारित नहीं है, बल्कि इसे नियमावली में निर्धारित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुल करदाताओं में से पाँच प्रतिशत का चयन

5 आरजीएसटीएएम में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार अधिकतम सीमा कुल करदाताओं का 5 प्रतिशत है।

6 वृत्त ई जयपुर-I, के जयपुर-III, बिजनेस लेखापरीक्षा-I जयपुर-II और बिजनेस लेखापरीक्षा-II जयपुर-IV।

7 वृत्त ई जयपुर-I।

करना बहुत बड़ा काम होगा और विभाग को लेखापरीक्षा क्षमता का विस्तार करना होगा और मानदंडों को एक उचित सीमा तक संशोधित करने पर भी विचार करना होगा।

सिफारिश 1: स्व-मूल्यांकन कर व्यवस्था के युग में, बिज़नेस लेखा परीक्षा, करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रमुख साधनों में से एक है। इसके अतिरिक्त, गैर-अनुपालन करने वाले करदाताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरजीएसटी अधिनियम की धारा 73⁸ के अंतर्गत एक समयबद्ध गतिविधि है। इसे देखते हुए, लेखा परीक्षा सिफारिश करती है कि बिज़नेस लेखा परीक्षा के लिए करदाताओं के चयन को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए, जैसा कि लेखापरीक्षा नियमावली में निर्धारित है और यह सुनिश्चित करना कि चयनित मामलों की लेखापरीक्षा समय पर पूरी हो जाए।

सिफारिश 2: विभाग को शेष रही बिज़नेस लेखापरीक्षा करने के लिए, जैसा कि लेखा परीक्षा में बताया गया है, त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ताओं के विरुद्ध समय पर कार्रवाई शुरू की जा सके और वसूली, यदि कोई हो, तो उसे किया जा सके।

2.3.6.3 विवरणी दाखिल नहीं करने वालों पर कार्यवाही का अभाव

सीजीएसटी/आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 68 के साथ पठित आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46, यदि करदाता नियत तिथि के भीतर विवरणी दाखिल करने में विफल रहा हो तो फॉर्म जीएसटीआर-3ए में एक नोटिस जारी करना प्रावधानित करती है, जिसमें पंद्रह दिनों के भीतर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यदि करदाता इस तरह के नोटिस के बाद भी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति के कर दायित्व का आंकलन कर फॉर्म एएसएमटी-13 में निर्धारण आदेश जारी कर सकते हैं।

विवरणी दाखिल करना कर के भुगतान से संबंधित है क्योंकि दोनों कार्यों की नियत तिथि एक ही है, जो विवरणी दाखिल न करने वालों के मामले में कर/शास्ति का भुगतान न करने का जोखिम दर्शाती है।

चयनित 10 वृत्तों से प्रासंगिक अभिलेख और सूचनाएँ माँगी गईं। हालाँकि, इनमें से सात वृत्तों⁹ ने आवश्यक अभिलेख और सूचनाएँ उपलब्ध नहीं कराईं। इसलिए, इन वृत्तों के कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण, अनियमितताओं की जाँच और विभाग के निरीक्षण कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु लेखापरीक्षा का दायरा सीमित हो गया।

8 धारा 73: धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के अलावा किसी अन्य कारण से भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए या गलत तरीके से वापस किए गए या गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्धारण।

9 वृत्त बूंदी, डी उदयपुर, ई उदयपुर, एफ जयपुर-द्वितीय, जे जयपुर-I, शाहजहाँपुर, मेड़ता सिटी।

तीन वृत्तों¹⁰ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं की जाँच करने पर, यह पाया गया कि एक वृत्त अर्थात् सिरौही, में 2020-21 की अवधि के लिए 77 करदाताओं की पहचान विवरणी दाखिल नहीं करने वालों के रूप में की गई थी। इन 77 मामलों में से, 72 करदाताओं (93.50 प्रतिशत) द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी किए जाने के बाद भी जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1 आदि जैसी उचित विवरणियाँ दाखिल नहीं की गई थी। हालाँकि, विभाग ने अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर देयता का आकलन करने और फार्म एएसएमटी-13 में निर्धारण आदेश जारी करने की कार्रवाई शुरू नहीं की।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2024)। सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि वसूली जारी है। हालाँकि, विभाग के जवाब में यह नहीं बताया गया है कि विभाग ने उपरोक्त प्रावधानों के तहत कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

2.3.7 केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा (भाग II)

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2018-19 से 2020-21 से संबंधित जीएसटी विवरणी डेटा का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी विवरणी के बीच नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 16 मापदंडों के एक समूह पर की गई थी, जिन्हें मोटे तौर पर दो आयामों-आईटीसी तथा कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है।

निर्धारित 13 जीएसटी विवरणियों¹¹ में से, निम्नलिखित मूल विवरणियाँ जो सामान्य करदाताओं पर लागू होती हैं, को जीएसटी विवरणी/डेटा के बीच विचलन, विसंगतियों और मिसमैच की पहचान करने के उद्देश्य से माना गया।

- जीएसटीआर-1: माल और सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी है और इसमें माल व सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण शामिल होता है।
- जीएसटीआर-3बी: करदाता द्वारा कर के भुगतान के साथ बाहरी आपूर्ति और दावा की गई आईटीसी का मासिक सारांश, जो अधिनियम की धारा 39(1) के तहत निर्दिष्ट को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा दाखिल की जाने वाली विवरणी है। यह वह विवरणी है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट

10 वृत्त-बी, भीलवाड़ा, बारां और सिरौही।

11 जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4 (कम्पोजिशन स्कीम के तहत करदाता के लिए), जीएसटीआर-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए), जीएसटीआर-5ए (अनिवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता के लिए), जीएसटीआर-6 (आगत सेवा वितरक के लिए), जीएसटीआर-7 (टीडीएस काटने वाले करदाता के लिए), जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए), जीएसटीआर-9 (वार्षिक विवरणी), जीएसटीआर-10 (अंतिम विवरणी), जीएसटीआर-11 (युआईएन रखने वाला व रिफंड का दावा करने वाले व्यक्ति के लिए), सीएमपी -08, और आईटीसी-04 (किसी जॉब-वर्कर को भेजे/प्राप्त किए गए माल के विवरण के बारे में प्रिंसिपल/जॉब-वर्कर द्वारा दाखिल किया जाने वाला विवरण)।

लेजर में क्रेडिट व डेबिट एवं इलेक्ट्रॉनिक केश लेजर में डेबिट को प्रदर्शित करती है।

- जीएसटीआर-6: आगत सेवा वितरकों (आईएसडी) के लिए मासिक विवरणी, जो उनके द्वारा वितरित आगत कर क्रेडिट तथा आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करती है।
- जीएसटीआर-8: जीएसटी के तहत टीसीएस (स्रोत पर एकत्र कर) की कटौती करने वाले ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल की जाने वाली मासिक विवरणी, जिसे अक्टूबर 2018 में लागू किया गया।
- जीएसटीआर-9: आगत सेवा वितरक (आईएसडी), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहक, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति तथा अनिवासी करदाता के अलावा अन्य सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल की जाने वाली वार्षिक विवरणी है। इस दस्तावेज़ में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सीजीएसटी, आरजीएसटी व आईजीएसटी) के तहत की गई और प्राप्त की गई सभी आपूर्तियों के विवरण के साथ-साथ टर्नओवर एवं लेखापरीक्षा का विवरण शामिल होता है।
- जीएसटीआर-9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर करने वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा फॉर्म है। यह मूल रूप से जीएसटीआर-9 में दाखिल वार्षिक विवरणी और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच एक समाधान विवरण है।
- जीएसटीआर-2ए: प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक सिस्टम जनित विवरण। इसमें जीएसटीआर-1/5 फॉर्म में घोषित आपूर्तिकर्ताओं के सभी बी2बी लेनदेनों का विवरण, जीएसटीआर-6 से आईएसडी विवरण, जीएसटीआर-7 एवं जीएसटीआर-8 से क्रमशः प्रतिपक्ष द्वारा एवं प्रविष्टि के बिल पर विदेशों से माल का आयात, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आइसगोट पोर्टल से प्राप्त हुआ, का विवरण है।

चिन्हित किए गए 16 मापदंडों पर राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित पैन स्टेट डेटा विश्लेषण एवं देखे गए विचलन/विसंगतियों की सीमा को तालिका 2.2 में सारीकृत किया गया है-

तालिका 2.2: नमूना डेटा विश्लेषण का सारांश (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा)

क्र.सं.	मापदंड	प्रयुक्त की गई एल्गोरिथम	कर दाताओं की संख्या	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
आयाम: आईटीसी					
डी1	जीएसटीआर-2ए और जीएसटी आर-3बी के बीच आईटीसी का मिसमैच	जीएसटीआर 2ए के सभी संशोधनों के अनुसार उपलब्ध आईटीसी और जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए (5) में आईटीसी का उपयोग जिसमें 4(डी) अवरुद्ध क्रेडिट और जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी से आगामी वर्षों का आईटीसी शामिल है।	60	95	799.37
डी2	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आईटीसी	जीएसटीआर-9, विशेष रूप से जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए से संबंधित, की तुलना जीएसटीआर 2ए में दर्शाए गए आईटीसी डेटा से की गई।	30	76	293.38

क्र.सं.	मापदंड	प्रयुक्त की गई एल्गोरिथम	कर दाताओं की संख्या	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
डी 3	सीमा अवधि के बाद दाखिल किये गये जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी	सितंबर की नियत तारीखों के बाद करदाता द्वारा दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 के माध्यम से प्राप्त आईटीसी, अगले वर्ष की जीएसटीआर-3बी रिटर्न, डेटा की जांच करके पहचान की गई।	45	57	99.28
डी 4	आईएसडी क्रेडिट का गलत उपयोग	जीएसटीआर-9 की तालिका 6 जी या जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(ए) (4) में स्थानांतरित आईएसडी की तुलना प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन के जीएसटीआर-6 की तालिका 5ए, 8ए व 9ए के योग से की गई थी।	17	27	8.26
डी 5	आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में कर का भुगतान	जीएसटीआर-3 बी तालिका 3.1 (डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 9 तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं थी, जांच को जीएसटीआर-3बी के भीतर प्रतिबंधित किया गया – तालिका 3.1 (डी) में कर की अदायगी की तुलना में तालिका 4 ए (2) एवं 4 ए (3) में प्राप्त आई टी सी।	40	64	83.17
डी 6	वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में घनात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 13 में उपलब्ध कराये गए कारणों की जाँच	15	24	487.93
डी 7	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान	जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में घनात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 15 में दिए गए कारणों की जाँच।	15	23	647.47
आयाम: कर का भुगतान					
डी 8	अस्थिर देनदारियां	जीएसटीआर-1 (तालिका 4 से 11) और जीएसटीआर 9 (तालिका 4 एन, 10 और 11) के बीच अधिक कर देयता की तुलना जीएसटीआर-3 बी तालिका 3.1(ए) और 3.1(बी) में भुगतान किये गये कर विवरण से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर- 9 उपलब्ध नहीं थी, जीएसटीआर-3बी में भुगतान किये गए कर की तुलना जीएसटीआर- 1 में देनदारी से की गयी। जीएसटीआर-1 एवं 9 में घोषित संशोधन और अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया।	70	121	857.72
डी 9	ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी	जहां जीएसटीआर 3बी तालिका 3.1 (ए) + (बी) देय कर ई-वे बिल में घोषित कर देयता से कम था।	45	104	1580.91
डी 10	लेखा पुस्तकों और विवरणियों के बीच कर भुगतान में मिसमैच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में ऋणात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 10 में दिए गए कारणों की जाँच।	15	19	36.17
डी 11	टीडीएस/ टीसीएस घोषणा के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य में कमी	ऐसे मामलों की पहचान की गई है, जहां जीएसटीआर 3बी में जावक कर योग्य आपूर्ति (जीरो रेटेड, शून्य रेटेड और छूट प्राप्त के अलावा) के कारण घोषित कर योग्य मूल्य, जीएसटीआर-2 की तालिका 9 के अनुसार टीसीएस और टीडीएस क्रेडिट के लिए देय निवल राशि से कम था।	25	41	501.35
डी 12	जीएसटीआर 9सी की तालिका 5 में घोषित बिल रहित राजस्व में मिसमैच के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य की कमी	जीएसटीआर 9सी की तालिका 5बी के आंकड़े, जो वित्तीय वर्ष के आरंभ में बिल रहित राजस्व को दर्शाते हैं, की तुलना पिछले जीएसटीआर 9सी रिटर्न की तालिका 5एच के साथ की गई, जो वर्ष के अंत में बिल रहित राजस्व को दर्शाती है, ताकि वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित	15	20	412.56

क्र.सं.	मापदंड	प्रयुक्त की गई एल्गोरिथम	कर दाताओं की संख्या	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
		टर्नओवर में पहचाने गए मिसमैच की सीमा की समीक्षा की जा सके।			
डी 13	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मिसमैच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में ऋणात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 8 में दिए गए कारणों की जाँच।	15	26	7567.87
डी 14	कम्पोजिशन करदाता द्वारा भी ई-फॉर्मस सुविधा का उपभोग करना	टीसीएस प्रावधान प्रभावी होने पर ई-फॉर्मस जीएसटीआर 8, दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी हो गई। जीएसटीआर- 8 में घोषित जीएसटीआईएन जो कम्पोजिशन योजना के तहत जीएसटीआर-4 भी दाखिल कर रहे हैं।	10	10	-
डी 15	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं की गई लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	ऐसे करदाता जिन्होंने जीएसटीआर-3 बी दाखिल नहीं किया है, लेकिन जीएसटीआर - 1 दाखिल किया है या जहाँ जीएसटीआर - 2 ए उपलब्ध हैं, यह दर्शाता है कि करदाता बिना कर चुकाए व्यवसाय कर रहे हैं।	45	67	-
डी 16	ब्याज का कम भुगतान	जीएसटीआर-3बी को विलम्ब से दाखिल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना एवं जीएसटीआर-3 बी में घोषित ब्याज की तुलना	70	188	33.05
कुल			532	962	13,408.49

प्रत्येक लेखापरीक्षा आयाम के महत्वपूर्ण विचलनों को नीचे उदाहरणार्थ बताया गया है:

(i) जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच मिसमैच आईटीसी:

आईटीसी उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए से संबंधित डाटा निकाले गए थे, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान की गई आईटीसी का करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था।

वृत्त बी, बाड़मेर के अधीन एक करदाता के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि, वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 111.82 करोड़ थी जबकि वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 174.49 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आईटीसी राशि ₹ 62.67 करोड़ मिसमैच हुई जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (दिसम्बर 2024)। जवाब में, विभाग ने बताया (मार्च 2025) कि मांग जारी की जा चुकी है हालांकि, करदाता ने मांग आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आईटीसी:

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 (2) (सी) में प्रावधान है कि कोई भी पंजीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में किसी भी आईटीसी के क्रेडिट का पात्र नहीं होगा, जब तक कि ऐसी आपूर्ति के संबंध में लगाये गये कर का भुगतान वास्तव में सरकार

को या तो नकद में या उक्त आपूर्ति के संबंध में स्वीकार्य आईटीसी के उपयोग के माध्यम से नहीं किया गया हो।

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के तहत आईटीसी लाभ के अनुपालन की सीमा का विश्लेषण करने के लिए, उन संभावित मामलों की पहचान करने का प्रयास किया गया है जहां करदाता द्वारा वास्तव में कर का भुगतान किए बिना ही आईटीसी आगे जारी की होगी। इस उद्देश्य के लिए, जीएसटीआर 9 के प्रासंगिक आंकड़ों, विशेष रूप से जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए से संबंधित की तुलना जीएसटीआर 2ए में दर्शाए गए आईटीसी आंकड़ों से की गई। जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए जीएसटीआर-2ए की तालिका 3 और 5 से स्वतः भर जाती है और आवक आपूर्तियों (आयात और रिवर्स चार्ज के अधीन आवक आपूर्तियों को छोड़कर, लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) से प्राप्त सेवाओं सहित) के लिए उपलब्ध कुल क्रेडिट का विवरण प्राप्त कर लेती है। यह संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा घोषित सभी आईटीसी का कुल योग होगा। जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए की तुलना में जीएसटीआर-2ए में उच्च मूल्य यह दर्शाते हैं कि आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसी आपूर्तियों के संबंध में कर का भुगतान नहीं किया गया था और इसलिए, आईटीसी उपलब्ध नहीं थी।

इस आयाम के अन्तर्गत, विभाग को प्राप्तकर्ता, जो वृत्त-I, जयपुर-III के अधीन करदाता है, द्वारा प्राप्त आईटीसी और आपूर्तिकर्ता द्वारा चुकाए गए कर जो कि राशि ₹ 13.54 करोड़ था, के बीच के अंतर की जांच करनी थी। वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए में उपलब्ध ₹ 50.38 करोड़ की आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध ₹ 63.92 करोड़ की आईटीसी से करने पर यह अंतर देखा गया। यह अंतर आपूर्ति के स्थान में अंतर या आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण रद्द होने के बाद जारी किए गए चालानों पर प्राप्तकर्ता द्वारा आईटीसी प्राप्त करने के कारण हो सकता है, ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता आईटीसी को रिवर्स करने के लिए उत्तरदायी है। यह अंतर आपूर्तिकर्ता द्वारा अपनी मासिक विवरणी, अर्थात् जीएसटीआर -3बी, दाखिल न करने और इस प्रकार कर देयता का निर्वहन न करने के कारण भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा संबंधी आक्षेप विभाग और राज्य सरकार को प्रेषित किया गया (दिसंबर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि माँग जारी की गई है। तथापि, यह मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थगनाधीन है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(iii) आईटीसी प्राप्त करने की सीमा अवधि के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर 3बी में आईटीसी का लाभ प्राप्त करना :

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) में प्रावधान है कि कोई पंजीकृत व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सितंबर माह के लिए धारा 39 के अंतर्गत विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि या संबंधित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि जो भी पहले हो, के बाद माल या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति के संबंध में आईटीसी लेने का हकदार नहीं होगा। तदनुसार, यदि कोई जीएसटीआर 3बी उस समय के बाद प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें प्राप्त आईटीसी अस्वीकार्य हो जाती है।

इस सम्बन्ध में प्राप्त अतिरिक्त/अनियमित आईटीसी की सीमा की समीक्षा करने के लिए, करदाता द्वारा वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक संबंधित जीएसटीआर 3बी की तालिका 4 के माध्यम से प्राप्त आईटीसी की पहचान की गई, जो अगले वर्ष के सितंबर की जीएसटीआर 3बी विवरणी की नियत तिथियों के बाद दाखिल की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वृत्त एफ, जयपुर-I के अंतर्गत एक करदाता के मामले में सीमा अवधि¹² के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर 3बी के माध्यम से 2019-20 की अवधि के लिए ₹ 9.16 करोड़ की आईटीसी प्राप्त की गई, जिसकी सूचना विभाग और राज्य सरकार को दी गई (दिसंबर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(iv) आईएसडी क्रेडिट पर प्राप्तकर्ता द्वारा आईटीसी का गलत लाभ उठाना:

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा हस्तांतरित आईटीसी से अधिक है, करदाता की विवरणी में घोषित आईटीसी लाभ की तुलना उनके जीएसटीआर 6 में आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी से की गयी है।

वृत्त-एफ, जयपुर-II के अधीन एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-19 के दौरान जीएसटीआर 6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में आईएसडी द्वारा हस्तान्तरित आईटीसी ₹ 11.90 करोड़ थी और जीएसटीआर 3बी तालिका 4(ए)(4) में प्राप्त आईटीसी ₹ 13.01 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी का प्राप्त आईटीसी से राशि ₹ 1.11 करोड़ का मिसमैच हुआ जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (दिसम्बर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता को मांग आदेश जारी कर दिया गया है (अप्रैल 2024)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(v) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत आईटीसी का गलत लाभ:

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या धारा 9(4) के तहत और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अन्तर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत, माल या सेवाओं की आपूर्ति की कुछ श्रेणियों की माल या सेवाओं या दोनों के

12

जीएसटीआर 3बी का माह	दाखिल करने की निर्धारित तिथि	दाखिल करने की वास्तविक तिथि
अक्टूबर 2019	सितंबर 2020	05 नवंबर 2020
नवंबर 2019	सितंबर 2020	16 अगस्त 2021
दिसंबर 2019	सितंबर 2020	16 अगस्त 2021
जनवरी 2020	सितंबर 2020	16 अगस्त 2021
फरवरी 2020	सितंबर 2020	16 अगस्त 2021

संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय, प्राप्तकर्ता पर तय किया जाता है।

आरसीएम के तहत भुगतान किए गए कर की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए आरसीएम से संबंधित जीएसटीआर 3बी और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 के डेटासेट की तुलना की गई ताकि यह जांच की जा सके कि आरसीएम के तहत गतिविधियों/लेनदेन पर कर पूरी तरह से चुकाया गया है या नहीं। जिन मामलों में जीएसटीआर 9 दाखिल किया गया था, उनमें तालिका 4जी में आरसीएम भुगतान की तुलना तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी से की गई थी। जिन मामलों में जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, उनमें जीएसटीआर 3बी तालिका 3.1(डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 3बी 4(ए) (2) और 4ए (3) से की गई।

वृत्त-I, जोन-जयपुर-III के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में आरसीएम के तहत देय कर के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 0.49 करोड़ थी जबकि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (2) और (3) में प्राप्त की गयी आईटीसी ₹ 5.91 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.42 करोड़ की आईटीसी मिसमैच हुई, जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि मांग जारी की गयी है, तथापि, करदाता ने मांग आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(vi) वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच:

जीएसटीआर 9 सी की तालिका 12, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर9) में घोषित आईटीसी को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार प्राप्त आईटीसी के साथ मिलाती है। इस तालिका का कॉलम 12एफ मिलान नहीं हुई आईटीसी से संबंधित है।

वर्ष 2018-19 से 2020-2021 के लिए फार्म जीएसटीआर 9सी में आरजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी में पहचाने गए मिसमैच की सीमा की समीक्षा की जा सके।

वृत्त- I, जयपुर-III के अधीन, एक करदाता के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि अवधि 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9सी की तालिका 12ई के अनुसार वार्षिक विवरणी में दावा की गयी आईटीसी और जीएसटीआर 9सी की तालिका 12डी में घोषित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार दावा की गयी आईटीसी के बीच ₹ 236.18 करोड़ का मिसमैच था। इस प्रकार, जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में ₹ 236.18 करोड़ की मिलान नहीं हुई आईटीसी घोषित की गई। इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (दिसम्बर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (अप्रैल 2025) कि करदाता को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(vii) जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में मिलान नहीं हुई आईटीसी:

जीएसटीआर 9 सी की तालिका 14, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आईटीसी को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार व्ययों पर प्राप्त आईटीसी के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 14टी मिलान नहीं हुई आईटीसी से संबंधित है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए फार्म जीएसटीआर 9सी में आरएसजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वित्तीय विवरणों में बताए गए व्ययों के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी में पहचाने गए मिसमैच की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

वृत्त-I जयपुर-III के अधीन एक करदाता, के प्रकरण में, लेखापरीक्षा ने पाया कि, वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9सी की तालिका 14एस के अनुसार वार्षिक विवरणी में ₹ 392.07 करोड़ की आईटीसी का दावा किया गया था, जबकि जीएसटीआर 9सी की तालिका 14 आर के अनुसार पात्र आईटीसी की राशि शून्य थी। इस प्रकार, जीएसटीआर 9 सी की तालिका 14 टी में घोषित ₹ 392.07 करोड़ की मिलान नहीं हुई आईटीसी थी, जो कि जीएसटी विवरणी में, वित्तीय विवरणों में बताये गये व्ययों के आधार पर पात्र आईटीसी से अधिक ली गयी थी। इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (दिसम्बर 2024)। इसके जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(viii) अस्थिर कर देनदारियां:

माल या सेवाओं की जावक आपूर्ति के मासिक विवरण को जीएसटीआर-1 में दर्शाया जाता है। जावक आपूर्ति का करदाता द्वारा भी निर्धारण किया जाता है और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 के संबंधित कॉलम में इसका उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा, कर योग्य मूल्य और उस पर भुगतान किया गया कर भी मासिक विवरणी जीएसटीआर-3बी में दिखाया जाता है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 से, न चुकाई गई कर की देनदारी का विश्लेषण करने के लिए संबंधित डेटा निकाला गया और इन विवरणियों में देय कर की तुलना जीएसटीआर-9 के अनुसार भुगतान किए गए कर से की गई थी। इस प्रयोजन हेतु जीएसटीआर-1 और 9 में घोषित किये गये संशोधनों और अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया। जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं थी, वहाँ जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच देय कर की तुलना की गई। इस एल्गोरिथम के लिए, जीएसटीआर-1 की तालिका 4 से 11 और जीएसटीआर 9 की तालिका 4एन, 10 और 11 पर विचार किया गया। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के बीच कर देयता में से अधिक की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका 9 और 14 में घोषित कर भुगतान के साथ की गई थी।

वृत्त-जे, जयपुर-III के अधीन एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान जीएसटीआर-1 के अनुसार देय कर ₹ 7.23 करोड़ था और जीएसटीआर 9 के अनुसार शून्य था। जीएसटीआर-1 में घोषित ₹ 7.23 करोड़ की कर देयता में से जो अधिक थी, उसकी तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 9 और 14 में घोषित ₹ शून्य के भुगतान किये गये कर से की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.23 करोड़ की कर देयता मिसमैच हुई जिसकी सूचना विभाग एवं राज्य सरकार को दी गई (दिसम्बर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता के विरुद्ध मांग जारी की गई है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(ix) ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी

कर के कम भुगतान की सीमा का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-3बी में घोषित कर देयता से संबंधित प्रासंगिक आंकड़ों की तुलना ई-वे बिल में किए गए प्रकटीकरणों से की गई। एल्गोरिथम के लिए, उन मामलों की पहचान की गई जहाँ जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (ए) + (बी) के अनुसार देय कर, ई-वे बिल में घोषित कर देयता से कम था।

वृत्त-ए, भिवाड़ी के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1 में देय कर देयता ₹ 124.09 करोड़ थी, जबकि ई-वे बिल के अनुसार देय कर देयता ₹ 313.54 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 189.45 करोड़ की कर देयता बकाया रह गई, जिसकी सूचना विभाग एवं राज्य सरकार को दी गई (दिसम्बर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(x) लेखा पुस्तको और विवरणियों के बीच भुगतान किए गए कर में मिसमैच:

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए फार्म जीएसटीआर 9 सी में सीजीएसटी/ आरजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वार्षिक विवरणी एवं लेखा पुस्तकों के बीच भुगतान किये गये कर में पहचाने गये मिसमैच की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था। जीएसटीआर 9 सी की तालिका 9 टर्नओवर को दर के अनुसार अलग करके और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 के अनुसार निर्वहन किये गये कर के साथ तुलना करके भुगतान किए गए कर को मिलान करने को दर्शाती हैं। मिलान नहीं हुई राशियाँ गलत दरों पर लगाए गए कर, कर योग्य टर्नओवर को करमुक्त टर्नओवर या इसके विपरीत दर्शाना या सीजीएसटी/आरजीएसटी/आईजीएसटी के गलत आरोपण का संभावित रूप से संकेत हो सकती है।

वृत्त-सी, जयपुर-III के अधीन एक करदाता, के मामले में लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 9सी की तालिका 9पी के अनुसार भुगतान किया जाने वाला कुल कर ₹ 32.62 करोड़ था, जबकि जीएसटीआर 9सी की तालिका 9क्यू के अनुसार वार्षिक विवरणी में घोषित कुल कर भुगतान ₹ 28.41 करोड़ था। इस प्रकार, जीएसटीआर 9सी की

तालिका 9आर में ₹ 4.21 करोड़ के कर के भुगतान का मिलान नहीं होना घोषित किया गया था।

इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (दिसम्बर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि डीआरसी-07 के तहत मांग सृजित कर दी गई हैं, तथापि, मामला एनसीएलटी के अधीन लंबित है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(xi) टीडीएस/टीसीएस घोषणा के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य में कमी

टीडीएस और टीसीएस विवरण क्रमशः जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 में घोषित किए जाते हैं और पंजीकृत व्यक्ति को जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 में सूचित किए जाते हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें जीएसटीआर 3बी में जावक कर योग्य आपूर्तियों (जीरो दर, शून्य दर और छूट प्राप्त के अलावा) के कारण घोषित कर योग्य मूल्य, जीएसटीआर-2 की तालिका 9 के अनुसार टीसीएस और टीडीएस क्रेडिट के लिए देय निवल राशि से कम था। दर्शायी गयी विचलन राशि गैर-प्रकटीकरण का केवल एक अंश हो सकती है, क्योंकि सटीक तुलना संभव नहीं है क्योंकि करदाता के पास अन्य आपूर्तियाँ हो सकती हैं जिनके लिए टीडीएस वसूली आवश्यक नहीं है।

वृत्त-डी, कोटा के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 2020-21 में जीएसटीआर 3बी में जावक कर योग्य आपूर्तियों के कारण घोषित कर योग्य मूल्य, टीडीएस क्रेडिट के लिए देय निवल राशि ₹ 248.84 करोड़ से कम था। इसकी सूचना विभाग और राज्य सरकार को दी गई (दिसंबर 2024)। इसके जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि मामला उप महानिदेशक जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई), जयपुर के अन्तर्गत जाँच के अधीन है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(xii) जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान नहीं हुए कर योग्य टर्नओवर:

जीएसटीआर 9सी की तालिका 7 कर योग्य टर्नओवर का मिलान है। इस तालिका के कॉलम 7जी वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 और उस वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में अपेक्षित समायोजन के बाद घोषित मिलान नहीं होने वाले कर योग्य टर्नओवर को दर्शाता है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए फार्म जीएसटीआर 9सी में सीजीएसटी/आरजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक विवरणी में बताए गए कर योग्य टर्नओवर में पहचाने गये मिसमैच की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटास्तर पर विश्लेषण किया गया था। जिन मामलों में जीएसटीआर 9 में घोषित टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है वहाँ मिलान नहीं हुई राशि कर योग्य आपूर्तियों को नहीं दर्शाने, कम दर्शाने, चूक या त्रुटि का संकेत हो सकती है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्तियों दोनों को नहीं दर्शाने के कारण भी हो सकता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान वृत्त-ए, भिवाडी के अधीन एक करदाता के मामले में जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान नहीं होने वाले कर योग्य टर्नओवर के संबंध में राशि ₹ 604.48

करोड़ पर लेखापरीक्षा आक्षेप जारी कर विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (दिसम्बर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(xiii) कंपोजिशन लेवी योजना का लाभ उठा रहे ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ता:

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 10(2) (डी) के प्रावधान के अनुसार, कंपोजिशन स्कीम डीलरों को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से किसी भी वस्तु या सेवा की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं है और उन्हें अधिनियम की धारा 52 के तहत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है।

ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाने वाले कंपोजिशन करदाताओं की पहचान करने के लिए, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल जीएसटीआर 8 और कंपोजिशन करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटीआर 4¹³ से संबंधित डेटासेट की तुलना यह जांचने के लिए की गई कि क्या जीएसटीआर 8 में उल्लिखित प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन ने जीएसटीआर 4 भी दाखिल किया है।

कंपोजिशन लेवी का लाभ अनियमित रूप से प्राप्त करने के अलावा, यह भी देखा गया कि इनमें से अधिकांश करदाताओं से संबंधित जीएसटीआर 8 विवरणी में ई-कॉमर्स प्रदाता द्वारा घोषित टर्नओवर, कंपोजिशन लेवी के लिए करदाताओं द्वारा उनके सीएमपी-08 में घोषित टर्नओवर से अधिक था, इसलिए कर के कम भुगतान की भी संभावना हो सकती है।

वर्ष 2018-19 के लिए वृत्त-जी, जयपुर-III के तहत एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीएमपी-08 में कंपोजिशन टर्नओवर की राशि ₹ 0.68 करोड़ दिखाई गई थी, जबकि ई-कॉमर्स डिडवटी के अनुसार जीएसटीआर 8 में घोषित सकल राशि ₹ 1.37 करोड़ थी। इस प्रकार, ई-कॉमर्स प्रदाता द्वारा करदाताओं से संबंधित जीएसटीआर 8 विवरणी में घोषित टर्नओवर, करदाताओं द्वारा कंपोजिशन लेवी के लिए सीएमपी-08 में घोषित टर्नओवर से अधिक था। प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (दिसंबर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता के विरुद्ध मांग जारी की गयी है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(xiv) जीएसटीआर-3बी का दाखिल नहीं किया जाना लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध होना :

सीजीएसटी/आरजीएसटी नियम 2017 के नियम 61(5) के तहत जीएसटीआर 3बी विवरणी ही एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से कर दायित्वों की पूर्ति और आईटीसी का लाभ लिया जाता है।

डेटा विश्लेषण के माध्यम से उन करदाताओं की पहचान करने का प्रयास किया गया जिन्होंने जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं की थी लेकिन जीएसटीआर 1 दाखिल की थी या जिनका

13 कम्पोजिशन लेवी का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति की त्रैमासिक विवरणी।

जीएसटीआर 2ए उपलब्ध था। जीएसटीआर 1 और 2ए की उपलब्धता और जीएसटीआर 3बी को दाखिल न करना यह दर्शाता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय किया था/चलाया था लेकिन अपनी कर देनदारी का निर्वहन नहीं किया। इसमें आईटीसी के अनियमित जारी होने के मामले भी शामिल हो सकते हैं।

वृत्त-जे, जयपुर-III के अधीन एक करदाता के मामले में जीएसटीआर 1, 2ए और 3बी में प्रासंगिक स्थानों से संबंधित डेटासेट का विश्लेषण किया गया था, यह पाया गया कि करदाता ने 2019-20 में जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं की थी जबकि करदाता ने अपने जीएसटीआर-1 में ₹ 7.23 करोड़ की कर राशि के साथ कर योग्य आपूर्ति घोषित की थी। यह दर्शाता है कि करदाता ने उक्त अवधि के दौरान व्यवसाय तो किया था, लेकिन अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2024)।

जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता के विरुद्ध मांग सृजित की गई है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(xv) ब्याज का कम भुगतान:

अधिनियम की धारा 50 अनुबंधित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसका कोई भाग भुगतान न किया गया हो, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान कर के विलंब से जमा कराये जाने के कारण ब्याज के कम भुगतान की राशि की पहचान जीएसटीआर 3बी में कर भुगतान के विवरण एवं जीएसटीआर 3बी दाखिल करने की तिथि का उपयोग करके की गई। ब्याज देयता की गणना करने के लिए संबंधित माह के लिए जीएसटीआर 3बी दाखिल करने की नियत तिथि (प्रदान किए गए किसी भी विस्तार सहित) और जीएसटीआर 3बी दाखिल करने की वास्तविक तिथि को ध्यान में रखा गया है और देय ब्याज की गणना करने के लिए केवल निवल कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त 'ए', भिवाड़ी के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, जिसमें 2018-19 के दौरान कर के विलम्ब से जमा किये जाने के कारण ब्याज का कम भुगतान ₹ 0.76 करोड़ था। मामले की सूचना विभाग एवं राज्य सरकार को दी गई (दिसम्बर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता के विरुद्ध मांग सृजित की गई है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

2.3.7.1 लेखापरीक्षा पर प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा ने अवधि वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए 16 मापदंडों में से प्रत्येक में शीर्ष विचलन/विसंगतियों वाले 532 करदाताओं के नमूने का चयन किया। लेखापरीक्षा ने विभाग को

राशि ₹ 5,508.92 करोड़ के 510 लेखापरीक्षा आक्षेप (926 विचलनों) जारी किए। इन प्रकरणों में चिन्हित विचलनों/मिसमैच पर, लेखापरीक्षा जाँच विभाग की कार्यवाही के सत्यापन तक सीमित थी। विभाग ने जारी किए गए सभी आक्षेपों के उत्तर दिए। तथापि, ₹ 779.73 करोड़ के मिसमैच/विसंगति वाले 126 विचलनों के संबंध में विभाग ने बताया कि इन प्रकरणों की या तो जांच की जा रही है या वे अपील/एनसीएलटी/उच्च न्यायालय आदि में लंबित हैं।

2.3.7.2 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कमियों का सारांश

लेखापरीक्षा आक्षेपों पर विभाग से प्राप्त प्रत्युत्तरों के आधार पर, अनुपालन विचलन में रूपांतरित 16 मापदंडों (परिशिष्ट 2.1) में से प्रत्येक को तालिका 2.3 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 2.3 कमियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	करदा ताओं की संख्या	प्रकरणों की संख्या	प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुए		लेखापरीक्षा को स्वीकार्य विभाग का उत्तर (लेखापरीक्षा से पहले की गई कार्रवाई और डेटा प्रविष्टि त्रुटियों सहित)		अनुपालन विचलन							
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	एससीएन जारी किया गया /मांग कायम की गई/वसूली ¹⁴ की गई		एसएमटी-10/नोटिस/डी आरसी-01ए जारी किया गया		लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं (खंडन)		योग	
							संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी का मिसमैच (डी1)	58	93	93	738.69	47	327.00	31	241.41	-	-	2	32.16	33	273.57
आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आईटीसी (डी2)	30	75	75	290.15	60	218.26	06	15.86	-	-	-	-	06	15.86
सीमा अवधि के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर 3बी में प्राप्त आईटीसी (डी3)	45	57	57	99.28	19	26.46	24	48.82	1	0.16	3	1.96	28	50.94
आईएसडी क्रेडिट का गलत उपयोग (डी4)	15	23	23	7.53	10	3.48	8	1.39	-	-	1	1.11	9	2.50
आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 में कर का भुगतान (डी5)	35	56	56	72.02	38	46.21	8	17.50	-	-	-	-	08	17.50
वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच (डी6)	14	23	23	484.02	13	68.53	7	411.54	2	2.26	-	-	09	413.80
वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान (डी7)	15	23	23	647.48	14	81.09	8	563.83	-	-	1	2.56	9	566.39
अस्थिर देनदारियां (डी8)	64	112	112	824.65	73	514.22	18	86.21	2	14.81	-	-	20	101.02
ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी (डी9)	44	103	103	1569.71	66	934.03	8	83.60	24	487.67	-	-	32	571.27
लेखा पुस्तकों और विवरणियों के बीच कर भुगतान में मिसमैच (डी10)	15	19	19	36.17	12	21.30	2	3.90	1	1.44	1	1.80	4	7.14

14 ₹ 1245.26 करोड़ के 78 प्रकरणों में एससीएन जारी किया गया, ₹334.40 करोड़ के 140 प्रकरणों में मांग कायम की गई और 18 प्रकरणों में ₹1.58 करोड़ की वसूली की गई।

लेखापरीक्षा आयाम	करदाताओं की संख्या	प्रकरणों की संख्या	प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुए		लेखापरीक्षा को स्वीकार्य विभाग का उत्तर (लेखापरीक्षा से पहले की गई कार्रवाई और डेटा प्रविष्टि त्रुटियों सहित)		अनुपालन विचलन							
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	एससीएन जारी किया गया /मांग कायम की गई/वसूली ¹⁴ की गई		एसएमटी-10/नोटिस/डी आरसी-01ए जारी किया गया		लेखापरीक्षा को उत्तर स्वीकार्य नहीं (खंडन)		योग	
							संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
टीडीएस/टीसीएस घोषणा के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य में कमी (डी11)	24	40	40	495.98	26	143.84	8	89.46	3	7.77	2	6.07	13	103.30
जीएसटीआर 9सी की तालिका 5 में घोषित बिल रहित राजस्व में मिसमैच के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य की कमी (डी12)	14	18	18	210.76	13	173.36	1	7.41	2	14.50	-	-	03	21.91
जीएसटीआर 9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मिसमैच (डी13)	15	26	26	- ¹⁵	23	-	-	-	2	-	-	-	02	-
कम्पोजिशन करदाता द्वारा भी ई-कॉमर्स सुविधा का उपभोग करना (डी14)	9	9	9	-	7	-	2	-	-	-	-	-	02	-
जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं की गई, लेकिन जीएसटीआर 1 उपलब्ध है (डी15)	45	67	67	-	9	-	34	-	02	-	-	-	36	-
ब्याज का कम भुगतान(डी16)	68	182	182	32.48	84	15.76	71	10.31	01	0.14	-	-	72	10.45
कुल	510	926	926	5,508.92	514	2,573.54	236	1,581.24	40	528.75	10	45.66	286	2,155.65

लेखापरीक्षा ने ₹ 2155.65 करोड़ की राशि वाले 286 प्रकरणों में आरजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों से विचलन देखा, जो कि डेटा में 926 विसंगतियों/मिसमैच का 30.89 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने प्रत्युत्तर दिये। जोखिम मापदंडों जैसे कि जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच, सीमा अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर 3बी में प्राप्त आईटीसी, अस्थिर देनदारियाँ और ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई।

514 प्रकरणों में, जो लेखापरीक्षा नमूने का 55.51 प्रतिशत था, जहाँ विभाग के उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य थे, करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के 52 प्रकरण शामिल थे, विभाग ने 113 प्रकरणों में अग्रसक्रिय रूप से कार्यवाही कर ली थी और अन्य मान्य स्पष्टीकरणों में 349 प्रकरण शामिल थे।

126 प्रकरणों में, जो लेखापरीक्षा नमूने का 13.60 प्रतिशत थे (₹ 779.73 करोड़ का अंतर्निहित विचलन), विभाग ने बताया कि इन प्रकरणों की या तो जाँच की जा रही हैं या ये अपील/एनसीएलटी/उच्च न्यायालय आदि के तहत लंबित हैं।

15 26 प्रकरणों में जीएसटीआर 9 सी की तालिका 7 जी में कुल मिलान नहीं हुआ कर योग्य टर्नओवर ₹ 7,567.87 करोड़ है, जिसमें से एक प्रकरण में डेटा प्रविष्टि त्रुटि का टर्नओवर ₹ 2166.46 करोड़ है, ₹ 3709.74 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले 22 प्रकरणों में, विभाग द्वारा मान्य स्पष्टीकरण प्रदान किए गए और ₹ 1191.36 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले दो प्रकरणों में एसएमटी-10 जारी किया गया है और ₹ 500.31 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर से संबंधित शेष एक मामला उच्च न्यायालय में स्थगन के अधीन है।

286 अनुपालन विचलन प्रकरणों में से 10 प्रकरणों में यद्यपि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विचलनों को स्वीकार नहीं किया, तथापि उसके तर्क साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे, और इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन अधीन नहीं थे।

2.3.7.3 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा- डेटा विश्लेषण के दौरान देखे गए विचलन/मिसमैच के कारण

विभाग के 926 मामलों में जवाब को ध्यान में रखते हुए, डेटा विचलन/विसंगतता का कारण बनने वाले कारक निम्नानुसार हैं:

(क) जीएसटी कानून और नियमों से विचलन: उपरोक्त तालिका 2.3 में सारीकृत 926 विचलनों में से, विभाग ने ₹ 2109.99 करोड़ के कर प्रभाव वाले 276 मामलों में लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया या उन पर कार्रवाई शुरू की है। इन प्रकरणों में से, विभाग ने 18 प्रकरणों में ₹ 1.58 करोड़ की वसूली की, ₹ 1579.66 करोड़ के 218 प्रकरणों में एससीएन/डीआरसी-07 जारी किये हैं, ₹ 528.75 करोड़ के 40 प्रकरणों में करदाता को विसंगतियों से अवगत कराते हुए फॉर्म एएसएमटी -10/डीआरसी-01 ए जारी किया है। शीर्ष पाँच प्रकरणों में जो कि स्वीकार किए गए या जहाँ विभाग द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई, उनकी राशि ₹ 386.29 करोड़ थी। उदाहरणात्मक दो प्रकरण नीचे दिए गए हैं:

(i) ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी:

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि वृत्त-ए, भिवाड़ी के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर 3बी में देय कर देयता ₹ 225.99 करोड़ थी, जबकि ई-वे बिल के अनुसार देय कर देयता ₹ 283.92 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 57.93 करोड़ की कर देयता बकाया रह गई, जिसे विभाग और राज्य सरकार को (दिसंबर 2024) सूचित किया गया। इसके जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(ii) जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच:

लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त ए, भिवाड़ी के अंतर्गत करदाता के प्रकरण में, वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 93.33 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 117.44 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आईटीसी में ₹ 24.11 करोड़ का मिसमैच था, जिसकी सूचना विभाग और राज्य सरकार को दी गई (दिसंबर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता को डीआरसी-01 (कारण बताओ नोटिस) जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(ख) करदाताओं द्वारा कर अपवंचना:

लेखापरीक्षा ने 20 करदाताओं द्वारा जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच, सीमा अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर 3बी पर प्राप्त आईटीसी और ऐसे प्रकरणों जहां जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जीएसटीआर 1 उपलब्ध था, से संबंधित ₹ 129.68 करोड़ के विचलन के 23 प्रकरण देखे।

लेखापरीक्षा ने विभाग को इस ओर ध्यान दिलाया (दिसंबर 2024)। विभाग ने बताया (मार्च 2025) कि इन सभी फर्मों का पंजीकरण लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने से पहले ही पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द कर दिया गया था और कहा कि चूंकि फर्म फर्जी और अस्तित्वहीन/पता लगाने योग्य नहीं पाई गईं, इसलिए मांग की वसूली नहीं की जा सकी। इन 23 प्रकरणों में से, 18 प्रकरणों में एससीएन जारी किया गया और 12 प्रकरणों (18 प्रकरणों में से) में ₹ 152.54 करोड़ की मांग कायम की गई। शेष पाँच प्रकरणों में यह कहा गया कि फर्जी फर्मों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाएगा और धारा 122(1)(ii) एवं 122(1)(vii) के अंतर्गत न्याय निर्णयन आदेश पारित किया जाएगा।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

वृत्त जे, जयपुर-1 के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 8.94 करोड़ थी, जबकि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 27.89 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.95 करोड़ की अतिरिक्त आईटीसी प्राप्त हुई, जिसकी सूचना विभाग और राज्य सरकार को (दिसंबर 2024) दी गई। जवाब में, सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि फर्म फर्जी और अस्तित्वहीन पाई गई और करदाता का पंजीकरण 06 जुलाई 2019 को (13 जुलाई 2018 से) रद्द कर दिया गया। इसके अलावा, धारा 122(1)(ii) और 122(1)(vii) के तहत न्याय निर्णयन आदेश पारित किया गया (फरवरी 2024) और ₹ 36.69 करोड़ की मांग सृजित की गई। तथापि, विभाग ने आगे सूचित किया कि मांग वसूल नहीं की जा सकती क्योंकि फर्म का पता नहीं चल पा रहा है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि विभाग को अतिरिक्त प्राप्त आईटीसी की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 79(1)¹⁶ के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने के साथ-साथ करदाता द्वारा जीएसटीआर-1 में दिये गये विवरणों के माध्यम से ऐसे अस्तित्वहीन करदाता द्वारा आईटीसी जारी किए गए प्राप्तकर्ता की पहचान करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि विभाग ने लेखापरीक्षा (जनवरी 2024) द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही कार्रवाई की, जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमजोरी का संकेत देता है।

16 जहां किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के तहत सरकार को देय कोई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, वहां समुचित अधिकारी आरजीएसटी अधिनियम की धारा 79 (1) के तहत निर्धारित एक या अधिक तरीकों से राशि वसूल करने के लिए अग्रसर होगा।

समापन परिचर्चा के दौरान, मुख्य आयुक्त, राज्य कर ने कहा कि बोगस फर्म और फर्जी आईटीसी विभाग की सबसे बड़ी चिंता है, और इसे एआई-आधारित मॉड्यूल के कार्यान्वयन के बाद ही सुलझाया जाएगा।

सिफारिश 3: राज्य सरकार फर्जी इकाइयों/संस्थाओं के पंजीकरण और आईटीसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए पंजीकरण और निरस्तीकरण तंत्र को मजबूत कर सकती है।

(ग) लेखापरीक्षा द्वारा खंडन की गई विसंगतियाँ/मिसमैच

मिसमैच / विसंगतियों के 926 प्रकरणों के लेखापरीक्षा नमूने में से, विभाग द्वारा ₹ 45.66 करोड़ के मिसमैच/ विसंगतियों के समक्ष 10 प्रकरणों में केवल ₹ 6.80 करोड़ की माँग की गई। तथापि, विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई माँग से बहुत कम माँग सृजित करने के समर्थन में कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा इन मामलों में विभागीय उत्तरों की सत्यता का पता नहीं लगा सकी।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वृत्त-I, जयपुर-III के अंतर्गत एक करदाता के प्रकरण में, वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 117.77 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 3 बी की तालिका 4ए(5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 134.35 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आईटीसी में ₹ 16.58 करोड़ की राशि का मिसमैच पाया गया, जिसकी सूचना विभाग और राज्य सरकार को (दिसंबर 2024) दी गई। उत्तर में, राज्य सरकार ने (मार्च 2025) बताया कि ₹ 0.24 करोड़ की अतिरिक्त दावा की गयी आईटीसी के लिए डीआरसी-07 जारी कर दिया गया है। तथापि, विभाग ने कोई भी ऐसा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था जिससे यह आश्वासन मिलता हो कि मिसमैच राशि से कम की माँग करना उचित है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा विभागीय उत्तर की सत्यता का पता नहीं लगा सकी।

2.3.8 विस्तृत लेखापरीक्षा (भाग III)

एक स्वतः निर्धारण व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर होता है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र की स्थापना करने और इसे बनाये रखने की है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने और राजस्व संग्रह के लिए एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक आईटी संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर शासन के एक गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाती है और एक लक्षित दृष्टिकोण की अनुपालना को लागू करने की सुविधा प्रदान करती है।

बाहरी लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने डेटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, पैन-इंडिया डेटा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी विवरणी में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा, इस एसएससीए के एक भाग के रूप में जीएसटी विवरणियों की एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई थी। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 100 करदाताओं (स्वनन गतिविधियों के 20 करदाताओं सहित) का जोखिम आधारित नमूना चयनित किया गया था। अपनाई गई कार्यप्रणाली में संभावित जोखिम श्रेत्रों, विसंगतियों/विचलनों एवं रेड फ्लेग की पहचान करने के लिए करदाताओं द्वारा जीएसटीआर 9सी के भाग के रूप में दाखिल की गयी जीएसटी विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों और बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों का प्रारम्भ में एक डेस्क रिव्यू किया गया था। डेस्क रिव्यू लेखापरीक्षा कार्यालय परिसर में किया गया था। डेस्क रिव्यू परिणामों के आधार पर, पहचान किए गए जोखिमों के प्रेरक कारणों की पहचान करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए करदाताओं के विस्तृत अभिलेखों जैसे वित्तीय लेजर, इनवॉयस इत्यादि की मांग करके विभाग के वृत्तों में विस्तृत लेखापरीक्षा आयोजित की गई।

2.3.8.1 कार्यक्षेत्र का परिसीमन

आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80 (3) में प्रावधान है कि धारा 44 के द्वितीय परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों, एक इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के तहत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति, एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, जिसका एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक है, को भी वार्षिक विवरणी के साथ फॉर्म जीएसटीआर-9सी में एक स्व-प्रमाणित समाधान विवरण भी प्रस्तुत करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिरूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अलावा, फॉर्म जीएसटीआर-9सी में समाधान विवरण तैयार किया जाना चाहिए और लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए तथा अन्य विवरण, जहां लागू हो, जिसमें वित्तीय विवरण, लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट आदि शामिल हैं, को जीएसटीआर-9सी के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। हालांकि, ये अभिलेख जीएसटीआर 9सी के साथ ठीक से अपलोड नहीं किये गये थे। इसके अलावा जीएसटीआर-9सी के साथ अपलोड किये गये वित्तीय विवरणों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है।

100 प्रकरणों के लेखापरीक्षा नमूने में से 95 प्रकरणों में क्षेत्राधिकार वाले वृत्तों द्वारा वित्तीय विवरण/ट्रॉयल बैलेंस/ऑडिटर्स रिपोर्ट और जीएसटीआर 2ए आदि जैसे मूलभूत अभिलेखों और डेबिट/क्रेडिट नोट, चालान, समाधान विवरण आदि जैसे अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। इस प्रकार, 95 प्रतिशत नमूना लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणी में उपलब्ध जानकारी तक ही सीमित रही।

क्षेत्राधिकार-वार अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने का सारांश **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है। अभिलेखों के प्रस्तुत न किये जाने के परिणामस्वरूप, डेटा विश्लेषण के माध्यम से देखी गई विसंगतियों/विचलनों, जिनकी राशि ₹ 476.15 करोड़ थी, की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

समापन परिचर्चा के दौरान, मुख्य आयुक्त, राज्य कर ने बताया कि भविष्य में, विभाग लेखापरीक्षा के लिए आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 151 के तहत करदाताओं के अभिलेखों को मांगने की संभावनाओं का पता लगाएगा।

अभिलेखों/सूचना/आंकड़ों का प्रस्तुत न किया जाना सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16 के तहत सीएजी की संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी में बाधा डालता है, ताकि यह जांच की जा सके कि राजस्व के आकलन और संग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं या नहीं।

2.3.8.2 विस्तृत लेखापरीक्षा- लेखापरीक्षा निष्कर्ष

जैसा कि पिछले अनुच्छेद में बताया गया है, अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण, डेटा विश्लेषण के माध्यम से पाई गई ₹ 476.15 करोड़ की विसंगतियों/विचलनों की लेखापरीक्षा में जाँच नहीं हो सकी। इसके बावजूद, विभाग के बोवेब पोर्टल पर उपलब्ध आंशिक अभिलेख, जैसे कि जीएसटी विवरणी और वित्तीय विवरणों की जाँच में करदाताओं द्वारा ₹ 304.68 करोड़ का गैर अनुपालन पाया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: जीएसटी विवरणी से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आईटीसी से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष और कर देयताओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष। निष्कर्षों पर आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(I) जीएसटी विवरणियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(क) करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसके किसी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, स्वयं 18 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 32 करदाताओं (लेखापरीक्षित 100 करदाताओं का 32 प्रतिशत है) के 225 मामलों में करदाताओं ने इस अवधि के दौरान नियत तिथि के बाद जीएसटीआर 3बी दाखिल किया, तथापि, कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 1.78 करोड़ रुपये का ब्याज नहीं चुकाया गया। इन करदाताओं की पहचान जीएसटीआर 3बी में कर भुगतान के विवरण और जीएसटीआर 3बी दाखिल करने की तिथि का उपयोग करके की गई। इसके अलावा, पांच करदाताओं ने डीआरसी-03 के माध्यम से कर का भुगतान किया, तथापि, कर के विलंबित भुगतान पर देय ₹ 0.50 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद 113 मामलों में ₹ 0.49 करोड़ की वसूली की गई है। इसके अलावा, चार प्रकरणों में (इन 113 प्रकरणों में से) ₹ 21.63 लाख की वसूली के समक्ष केवल ₹ 1919 की वसूली की गई, तथापि, कम वसूली के कारणों की

सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गई। छह प्रकरणों में, बिजनेस लेखापरीक्षा के तहत कार्रवाई की गई है। 98 मामलों में एएसएमटी-10/डीआरसी-01/एससीएन/डीआरसी-07 के माध्यम से मांग सृजित करने के लिए नोटिस जारी कर कार्रवाई की गई, जबकि आठ प्रकरणों में करदाताओं ने कायम मांग के खिलाफ अपील दायर की है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

इसके अलावा, पाँच करदाताओं के संबंध में, जहाँ ₹ 0.50 करोड़ का ब्याज देय था, यह बताया गया कि लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर दो प्रकरणों में ₹ 1.62 लाख की वसूली की गई है, और एक प्रकरण का निस्तारण बिजनेस लेखापरीक्षा के अंतर्गत किया गया है। दो प्रकरणों में एएसएमटी-10/डीआरसी-01 जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(II) आगत कर क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(क) आईटीसी के रिवर्सल का अभाव/कम रिवर्स किया जाना

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के साथ पठित आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 के अनुसार, जहाँ माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अंशतः शून्य दर आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति के लिए एवं अंशतः कर मुक्त आपूर्ति को करने के लिए किया जाता है, वहाँ क्रेडिट की राशि आगत कर के उस भाग तक सीमित रहेगी, जो शून्य-दर आपूर्ति सहित उक्त कर योग्य आपूर्ति के कारण है। आगत एवं आगत सेवाओं के संबंध में पात्र आगत कर क्रेडिट के निर्धारण एवं उसके रिवर्सल का तरीका¹⁷ पूर्वोक्त नियम 42 में निर्दिष्ट किया गया है।

एक करदाता¹⁸ के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने जीएसटीआर-9 की तालिका 4बी में ₹ 3471.93 करोड़ की कुल जावक आपूर्ति घोषणा की थी, जिसमें से ₹ 27.87 करोड़ की आपूर्ति शून्य दर/छूट वाली थी, जैसा कि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान जीएसटीआर-9 की तालिका 5(डी+ई) में घोषित किया गया था। इस अवधि के दौरान, करदाता ने ₹ 406.53 करोड़ की आईटीसी भी प्राप्त की। हालांकि, करदाता ने जीएसटीआर-9 के अनुसार किसी भी आईटीसी को रिवर्स नहीं किया था। चूंकि करदाता ने जीएसटीआर-9 में कर योग्य और शून्य दर/छूट वाली दोनों आपूर्तियों की घोषणा की थी, इसलिए करदाता को आरजीएसटी अधिनियम, 2017 और आरजीएसटी नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार आईटीसी को रिवर्स करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करदाता को लगभग ₹ 3.34 करोड़ की आईटीसी रिवर्स करनी थी। तथापि, विभाग द्वारा विस्तृत रिकार्ड प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा सामान्य इनपुट पर आईटीसी रिवर्सल की गणना नहीं कर सकी।

17 छूट प्राप्त आपूर्तियों पर आईटीसी की राशि को 'डी' के रूप में दर्शाया जायेगा तथा इसकी गणना इस प्रकार की गयी है। डी= (ई/एफ)X सी जहाँ 'ई' कर अवधि के दौरान छूट प्राप्त आपूर्ति का कुल मूल्य है तथा 'एफ' कर अवधि के दौरान पंजीकृत व्यक्ति का राज्य में कुल टर्नओवर है तथा सामान्य क्रेडिट को 'सी' के रूप में दर्शाया गया है। सामान्य क्रेडिट कर योग्य एवं छूट प्राप्त आपूर्तियों दोनों के लिए उपयोग किये जाने वाले माल या सेवाओं पर आईटीसी है जिसके लिए नियम 42 के तहत आनुपातिक विभाजन की आवश्यकता होती है।

18 वृत्त-एच जयपुर II से संबंधित।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि इस प्रकरण में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए बिजनेस लेखा परीक्षा की जा चुकी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिजनेस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जाँच से पता चला कि उक्त धारा के अंतर्गत लेखा परीक्षा द्वारा बताया गया आक्षेप बिजनेस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं था।

सिफारिश 4: विभाग आईटीसी प्राप्ति के ऐसे मामलों की विस्तार से जाँच कर सकता है जहाँ कर योग्य और शून्य दर/छूट वाली आपूर्तियाँ दोनों हैं, और जहाँ लागू हो, आईटीसी को रिवर्सल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

(ख) अतिरिक्त आईटीसी की वसूली हेतु विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

करदाता द्वारा दाखिल विवरणी और जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध अन्य संबंधित सूचनाओं की नमूना जाँच के दौरान, यह पाया गया कि एक करदाता¹⁹ ने वर्ष 2020-21 के दौरान मासिक विवरणी जीएसटीआर 3बी के अनुसार आरसीएम पर ₹ 144.38 लाख की आईटीसी का लाभ उठाया। तथापि, यह पाया गया कि विवरणी जीएसटीआर 9सी के अनुसार ₹ 142.87 लाख की आईटीसी उपलब्ध थी और जीएसटीआर 9सी की तालिका 15 में यह भी उल्लेख किया गया था कि करदाता द्वारा ₹ 1.51 लाख की अतिरिक्त आईटीसी का भुगतान किया जाना है। तथापि, विभाग ने अतिरिक्त आईटीसी की वसूली लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही इसे ब्याज सहित (दिसंबर 2024 और फरवरी 2025) वसूल किया।

(ग) विवरणी से प्राप्त सूचना के अनुसार आईटीसी के दावे में मिसमैच

जब लेखापरीक्षा ने चयनित करदाताओं के जीएसटीआर-2ए डेटा के साथ-साथ करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटीआर 3बी, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9सी का विश्लेषण किया, तो विभिन्न विवरणी और तालिकाओं में ₹ 260.07 करोड़ के आईटीसी मिसमैच के 99 मामले सामने आए। लेखापरीक्षा द्वारा इन मिसमैच की विस्तृत जाँच नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग द्वारा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। मिसमैच के मामले नीचे तालिका में दिये गये हैं:

तालिका 2.4: आईटीसी के दावे में मिसमैच

क्र.सं.	मापदंड	प्रकरणों की संख्या	वृत्तों की संख्या	मिसमैच की राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
1	जीएसटीआर 9 की तालिका 7 (आई) (₹ 0.69 करोड़) और जीएसटीआर 3 बी + डीआरसी 03 (₹ 0.09 करोड़) के बीच आईजीएसटी से संबंधित आईटीसी रिवर्सल में मिसमैच।	01	01	0.60	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि माँग कायम की गई है, हालाँकि, करदाता ने माँग आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

19 वृत्त-ए जयपुर-IV से संबंधित।

2	जीएसटीआर 3बी (तालिका 4ए: ₹ 257.89 करोड़) और जीएसटीआर 9 (तालिका 7 जे+ तालिका 8सी: ₹ 242.99 करोड़) के बीच आईटीसी प्राप्त करने में मिसमैच।	02	01	14.90	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि माँग कायम की गई है, हालाँकि, करदाता ने माँग आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।
3	आरसीएम (जीएसटीआर 9 की तालिका 6सी+6डी+6एफ) के तहत प्राप्त आईटीसी और आरसीएम (जीएसटीआर 9 की तालिका 4जी) के तहत भुगतान किये गए कर के बीच मिसमैच।	12	06	19.79	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर तीन प्रकरणों में ₹ 0.69 लाख की वसूली कर ली गई है। बिज़नेस लेखापरीक्षा के तहत एक प्रकरण में कार्रवाई की गई है। हालाँकि, उत्तर के समर्थन में संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। छह प्रकरणों में नोटिस/डीआरसी-07/डीआरसी 01 जारी किया जा चुका है और एक प्रकरण अपील के अधीन लंबित है। शेष एक प्रकरण में, ₹ 12.22 करोड़ के आईटीसी में मिसमैच के संबंध में कहा गया कि करदाता ने आरसीएम के तहत कर का भुगतान किया लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 में सीजीएसटी ₹ 6.11 करोड़ और एसजीएसटी ₹ 6.11 करोड़ के आरसीएम आईटीसी का कम दावा किया, जिसका दावा 2018-19 में किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस महीने में आईटीसी का लाभ उठाया गया था उसका उल्लेख उत्तर में नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या आईटीसी का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर लिया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 2017-18 के जीएसटीआर 9 की तालिका 13 में 'पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त आईटीसी' शीर्षक के अंतर्गत शून्य राशि का उल्लेख किया गया था।
4	जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच। जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी और तालिका 4ए (5) में जीएसटीआर 3बी में प्राप्त आईटीसी। जिसमें 4 (डी) अवरूद्ध क्रेडिट और जीएसटीआर 9 की तालिका 8 सी से आगामी वर्षों का आईटीसी शामिल है।	84	39	224.78	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि दो प्रकरणों में अंतर मार्गस्थ माल के कारण था, इसलिए, अगले वित्तीय वर्ष में आईटीसी का दावा किया गया था। तीन प्रकरणों में, बिल ऑफ एंट्री के संबंध में आईटीसी, जीएसटीआर 2ए के आईजीएसटी शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित नहीं हो रही थी। नौ प्रकरणों में, बिज़नेस लेखापरीक्षा की गयी है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है। 13 प्रकरणों में, लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली (₹ 0.41 करोड़) की गई है। इसके अलावा, 38 प्रकरणों में डीआरसी-01/डीआरसी 07 जारी किया गया है, करदाता ने नौ प्रकरणों में अपील दायर की है और पाँच प्रकरण जाँच के अधीन हैं। चार प्रकरणों में उत्तर या तो अपूर्ण थे या लेखापरीक्षा आक्षेप के अनुसार नहीं थे, जबकि एक मामले में कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

(III) कर देयताओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(क) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान न करना

(i) अधिनियम की धारा 9(3) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की उन श्रेणियों को निर्दिष्ट करती है, जिन पर कर का भुगतान ऐसी माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 9(4) में पंजीकृत व्यक्तियों की एक श्रेणी दी गयी है, जो एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की निर्दिष्ट श्रेणियों के माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करेंगे। अधिसूचना संख्या 13/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 में निर्धारित किया गया है कि किसी व्यावसायिक इकाई को कानूनी सेवाओं की आपूर्ति और माल परिवहन एजेंसी द्वारा सेवाओं की आपूर्ति पर प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 14 प्रकरणों के संबंध में पांच करदाताओं ने कानूनी परामर्श और माल परिवहन एजेंसी द्वारा सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित सेवाओं की आवक आपूर्ति प्राप्त की, जिस पर आरसीएम के तहत ₹ 3.93 करोड़ का जीएसटी देय था।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर छह प्रकरणों में वसूली²⁰ की गई है और एक प्रकरण में बिज़नेस लेखापरीक्षा के तहत कार्रवाई की गई है, तथापि, उत्तर के समर्थन हेतु बिज़नेस लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई थी। दो प्रकरणों में, यह कहा गया था कि करदाता प्रत्येक जीएसटी पंजीकरण के लिए अलग-अलग लाभ हानि खाता या व्यय खाता नहीं रखता है और संबंधित वर्ष के लेखापरीक्षित अंतिम विवरण में दर्शायी गयी कानूनी और पेशेवर फीस की राशि अखिल भारतीय आधार पर एक पूरी इकाई की है और इसे किसी एक राज्य के लिए उपारोपित नहीं किया जा सकता है। करदाता ने संबंधित अवधि के दौरान कोई कानूनी सेवा प्राप्त नहीं की थी, जिसे जीएसटीआर-2ए के आधार पर भी प्रमाणित किया जा सकता है। तथापि, उत्तर के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटीआर 9 सी भरने के निर्देशों में कहा गया है कि जहां एक ही पैर पर कई जीएसटीआईएन (राज्यवार) पंजीकरण मौजूद हैं, ऐसी संस्थाओं को आंतरिक रूप से अपना जीएसटीआईएन-वार टर्नओवर निकालना होगा और उसे घोषित करना होगा।

दो प्रकरणों में डीआरसी-01 जारी किया गया है जबकि तीन प्रकरणों में मांग आदेश जारी किया गया है।

(ii) आरजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 9(3) के अंतर्गत, राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12 (56) एफडी/कर/2017 दिनांक 29 जून 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यावसायिक संस्था को प्रदान की गई सेवाएँ आरसीएम के अंतर्गत कर योग्य हैं।

20 ₹ 1,23,094।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि पाँच प्रकरणों में दो करदाताओं²¹ ने अपने वित्तीय विवरण में ₹ 127.27 करोड़ के व्यय अर्थात् एजीआर आधारित लाइसेंस शुल्क, सैटेलाइट और स्पेक्ट्रम शुल्क एवं रॉयल्टी, को दर्शाया। उक्त अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यावसायिक संस्था को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ आरसीएम के अंतर्गत कर योग्य हैं। तथापि, करदाताओं ने उपरोक्त सेवाओं पर आरसीएम के अंतर्गत कर का भुगतान नहीं किया। चूँकि वित्तीय विवरण में समेकित आँकड़े उपलब्ध थे और विभाग द्वारा राज्य-विशिष्ट आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे, इसलिए राज्य में करदाता की कर देयता का आकलन नहीं किया जा सका।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने दो प्रकरणों के संबंध में बताया (मार्च 2025), कि रॉयल्टी व्यय विभिन्न राज्यों में अलग-अलग जीएसटीआईएन वाले सभी स्थलों से संबंधित थे और रॉयल्टी राशि पर आरसीएम के तहत भुगतान किया गया और उसके आंकड़े विचाराधीन वर्ष के दौरान भुगतान किए गए आरसीएम से मेल खाते हैं। तथापि, उत्तर के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटीआर 9सी भरने के निर्देशों में कहा गया है कि जहां एक ही पैर पर कई जीएसटीआईएन (राज्यवार) पंजीकरण मौजूद हैं, ऐसी संस्थाओं को आंतरिक रूप से अपना जीएसटीआईएन-वार टर्नओवर निकालना होगा और उसे घोषित करना होगा।

एक प्रकरण में, करदाता ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद आरसीएम के तहत कर देयता का भुगतान कर दिया था। दो प्रकरणों में, मांग जारी की गई है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(IV) अग्रिमों पर जीएसटी का भुगतान

अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान सेवाओं की आपूर्ति का समय निम्न तिथियों में से जो सबसे पहले हो, होगा, अर्थात् (ए) आपूर्तिकर्ता द्वारा इनवॉयस जारी करने की तिथि, यदि इनवॉयस धारा 31 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर जारी किया गया हो अथवा भुगतान प्राप्त होने की तिथि, जो भी पहले हो; या अथवा (बी) सेवा उपलब्ध कराने की तिथि, यदि इनवॉयस धारा 31 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर जारी नहीं किया गया हो अथवा भुगतान की प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो; अथवा (सी) उस प्रकरण में, जहां खंड (क) अथवा खंड (ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, वह दिनांक, जिसको प्राप्तकर्ता अपने लेखा पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शाता है।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि एक करदाता ने वर्ष 2018-19 की बैलेंस शीट में ₹ 257.99 करोड़ के चालु दायित्वों को "ग्राहकों से अग्रिम" के रूप में दर्शाया गया था। हालाँकि, ग्राहकों से प्राप्त इन अग्रिमों पर कोई कर नहीं चुकाया गया था, जैसा कि जीएसटीआर-1 और वार्षिक विवरणी से पता चला।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि अग्रिमों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से अग्रनित किया गया था और

21 वृत्त I जयपुर III, तथा वृत्त डी जोधपुर II से संबंधित।

चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त नए अग्रिमों पर देयता का भुगतान कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राप्त अग्रिम पर कर देयता वर्ष 2017-18 और 2018-19 के जीएसटीआर - 1 और वार्षिक विवरणी में शून्य दर्शाई गई थी।

(V) विवरणीयों से प्राप्त सूचना के अनुसार कर देयता और कर योग्य टर्नओवर में मिसमैच

जब लेखापरीक्षा ने चयनित करदाताओं के जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के आंकड़ों के साथ-साथ करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटीआर 3बी, जीएसटीआर 9 का विश्लेषण किया, तो विभिन्न विवरणीयों और तालिकाओं में ₹ 35.04 करोड़ की कर देयता में मिसमैच के 54 मामले और ₹ 3808.26 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर में मिसमैच के नौ मामले पाए गए। लेखापरीक्षा द्वारा इन मिसमैच की विस्तृत जाँच नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग द्वारा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.5 कर देयता में मिसमैच

क्र.सं.	मापदंड	प्रकरणों की संख्या	वृत्तों की संख्या	मिसमैच की राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
1	जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर 9/3बी में भुगतान किये गए कर के बीच मिसमैच	48	27	34.52	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर 10 प्रकरणों में वसूली (₹ 2.44 लाख) की गई है। चार प्रकरणों का निपटारा बिजनेस लेखापरीक्षा के तहत किया गया है। इसके अलावा, एक प्रकरण में तकनीकी त्रुटि के कारण अंतर है क्योंकि कर देयता जीएसटीआर 9 की तालिका 9 में नहीं दर्शायी गई थी। दो प्रकरणों में, यह कहा गया कि मिसमैच क्रेडिट नोटों के समायोजन न करने के कारण है और एक प्रकरण में अंतर जीएसटीआर 1 में अग्रिम और उस पर कर के समायोजन न करने के कारण है। दो प्रकरणों में मिसमैच पिछले वर्ष में कर के अधिक भुगतान के कारण है। 28 प्रकरणों में एएसएमटी-10/डीआरसी-01/एससीएन / डीआरसी-07 जारी किया गया है।
2	जीएसटीआर 2ए (तुलनात्मक विवरण) के भाग-ए में स्वतः तैयार की गई आरसीएम कर देयता और जीएसटीआर 3बी (तालिका 3.1(डी)) की आरसीएम कर देयता में मिसमैच।	04	03	0.19	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने दो प्रकरणों के संबंध में (मार्च 2025) कहा कि आरसीएम के अंतर्गत कोई देयता नहीं है क्योंकि करदाता ने नवीनतम जीएसटीआर 2ए में देयता के अनुसार जीएसटीआर 3बी में आरसीएम का भुगतान कर दिया है, हालाँकि उत्तर के समर्थन में संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। एक प्रकरण में ₹ 7.67 लाख की माँग कायम की गई है जबकि शेष एक प्रकरण में एससीएन जारी किया गया है।
3	जीएसटीआर 3बी तालिका 3.1 (डी) और जीएसटीआर 9 तालिका 4जी के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत कर देयता (₹ 4.51	02	01	0.33	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने (मार्च 2025) कहा कि एक मामले में बिजनेस लेखापरीक्षा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, हालाँकि, उत्तर के समर्थन में संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। एक अन्य मामले में माँग सृजित की गई है, हालाँकि, करदाता ने माँग आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है।

क्र.सं.	मापदंड	प्रकरणों की संख्या	वृत्तों की संख्या	मिसमैच की राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
	करोड़) जबकि जीएसटीआर 3बी की तालिका 6 बी और जीएसटीआर 9 तालिका 9 के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत चुकाया जाने वाला कर (₹ 4.18 करोड़) का मिसमैच				
टर्नओवर में मिसमैच					
4	जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान न हुआ कर योग्य टर्न ओवर	03	02	612.76	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने (मार्च 2025) कहा कि दो प्रकरणों में बिज़नेस लेखापरीक्षा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया आक्षेप बिज़नेस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इसके अलावा, एक प्रकरण में डीआरसी-01 जारी किया गया है।
5	जीएसटीआर 9सी की तालिका 5 में घोषित बिल रहित राजस्व में मिसमैच के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य की कमी	06	02	3195.50	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि तीन प्रकरणों में एएसएमटी-10 जारी किया गया है, एक प्रकरण में ₹ 37.76 लाख की माँग सृजित की गई है, जबकि एक मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगनाधीन है। शेष एक मामले में, यह कहा गया कि करदाता ने अगले वित्तीय वर्ष में इनवॉयस जारी कर दिया है, हालाँकि, उत्तर के समर्थन में संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

2.3.9 निष्कर्ष

जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' चरण II पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) को वर्ष 2022-23 (चरण I) के दौरान किये गये एसएससीए की निरंतरता के रूप में लिया गया था, जिसमें इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र और वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार के निगरानी तंत्र के महत्व पर विचार किया गया था।

योजना बनाने के साथ-साथ मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए एक डेटा संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस एसएससीए के नमूने में 2018-19 से 2020-21 तक दाखिल किये गये रिटर्न की अवधि के लिए केंद्रीकृत लेखापरीक्षा हेतु डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचान किए गए विचलनों का एक समूह शामिल था जिसमें क्षेत्रीय दौरे शामिल नहीं थे, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें क्षेत्रीय दौरे एवं विभागीय परिसर में करदाता के अभिलेखों की जांच शामिल थी, तथा वृत्तों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए वृत्तों की एक नमूना लेखापरीक्षा शामिल थी।

इसलिए, लेखापरीक्षा नमूने में 10 वृत्तों, डेटा विश्लेषण के माध्यम से चयनित 16 मापदंडों में 962 उच्च मूल्य मिसमैच/विचलनों और जीएसटी विवरणी के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन के आधार पर चयनित 100 करदाता शामिल थे।

10 वृत्तों की समीक्षा से पता चला कि विभाग ने एकरूपता सुनिश्चित करने और अधिनियम की धारा 61 के अनुसार जांच कार्यवाही के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत करने के उद्देश्य से विवरणी की जांच पर विस्तृत दिशानिर्देश/एसओपी जारी किए (जनवरी 2022), एक बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (बीआईयू) का गठन किया गया था। तथापि, जांच कार्य प्रभावी नहीं थे क्योंकि 10 वृत्तों द्वारा जाँचे गए 200 प्रकरणों में से 24 प्रकरणों (12 प्रतिशत) में, प्राप्त आईटीसी में मिसमैच, कर देयता में मिसमैच और आरसीएम के तहत कर का भुगतान न करने से संबंधित विचलनों की जांच विभाग द्वारा संवीक्षा के दौरान नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में विभाग द्वारा बिजनेस लेखापरीक्षा में विलम्ब तथा जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं करने वालों पर कार्रवाई का अभाव भी देखा गया।

926 विचलनों में से, विभाग ने ₹ 2,109.99 करोड़ के कर प्रभाव वाले 276 प्रकरणों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया या कार्रवाई शुरू कर दी थी। जोखिम मानदंडों जैसे कि प्राप्त अतिरिक्त आईटीसी, सीमा अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर 3बी में प्राप्त आईटीसी, अस्थिर देनदारियाँ और ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी आदि में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई। जबकि डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण 5.62 प्रतिशत मामलों में मिसमैच/विचलन हुआ 12.20 प्रतिशत मामलों में विभाग ने पहले ही अग्र सक्रिय कार्रवाई कर दी थी। 126 प्रकरणों में, जो 13.60 प्रतिशत (₹ 779.73 करोड़ के अंतर्निहित विचलन) थे, विभाग ने कहा कि इन प्रकरणों की या तो जाँच की जा रही है या ये अपील/एनसीएलटी/उच्च न्यायालय आदि के तहत लंबित हैं।

जीएसटी विवरणीयों की विस्तृत लेखापरीक्षा में भी महत्वपूर्ण गैर-अनुपालनओं का पता चला। इसके अलावा, 100 करदाताओं के नमूने में से 95 मामलों में वित्तीय विवरण, ट्रायल बैलेंस और जीएसटीआर 2ए आदि जैसे आवश्यक मूलभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र सीमित रहा। लेखापरीक्षा इन प्रकरणों में ₹ 476.15 करोड़ के आईटीसी लाभ और कर भुगतान में मिसमैच/विसंगतियों की जांच नहीं कर सकी।

विभाग के बैकएंड एप्लिकेशन तक एसएसओआईडी आधारित पहुँच के माध्यम से लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध विवरणी और वार्षिक वित्तीय विवरण जैसे सीमित अभिलेखों के साथ, लेखापरीक्षा ने ₹ 304.68 करोड़ के अनुपालन विचलन देखे। इसके मुख्य कारण आईटीसी का कम रिवर्सल किया जाना/नहीं किया जाना, आईटीसी प्राप्ति में मिसमैच, कर देयता में मिसमैच, आरसीएम के तहत जीएसटी का भुगतान न करना और ब्याज का भुगतान न करना आदि थे।

अनुपालन कमियों की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा निम्नलिखित सिफारिशें करती है:

सिफारिश 1: स्व-मूल्यांकन कर व्यवस्था के युग में, बिजनेस लेखा परीक्षा, करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रमुख साधनों में से एक है। इसके अतिरिक्त, गैर-अनुपालन करने वाले करदाताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरजीएसटी अधिनियम की धारा 73

के अंतर्गत एक समयबद्ध गतिविधि है। इसे देखते हुए, लेखा परीक्षा सिफारिश करती है कि बिज़नेस लेखा परीक्षा के लिए करदाताओं के चयन को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए, जैसा कि लेखापरीक्षा नियमावली में निर्धारित है और यह सुनिश्चित करना कि चयनित मामलों की लेखा परीक्षा समय पर पूरी हो जाए।

सिफारिश 2: विभाग को शेष रही बिज़नेस लेखा परीक्षा करने के लिए, जैसा कि लेखा परीक्षा में बताया गया है, त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ताओं के विरुद्ध समय पर कार्रवाई शुरू की जा सके और वसूली, यदि कोई हो, तो उसे किया जा सके।

सिफारिशें 3: राज्य सरकार फर्जी इकाइयों/संस्थाओं के पंजीकरण और आईटीसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए पंजीकरण और निरस्तीकरण तंत्र को मजबूत कर सकती है।

सिफारिश 4: विभाग आईटीसी प्राप्ति के ऐसे मामलों की विस्तार से जाँच कर सकता है जहाँ कर योग्य और शून्य दर/छूट वाली आपूर्तियाँ दोनों हैं, और जहाँ लागू हो, आईटीसी को रिवर्सल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

2.4 'माल एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली' पर विषय-विशिष्ट अनुपालना लेखापरीक्षा

2.4.1 प्रस्तावना

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, जो 'एक राष्ट्र, एक कर' के सिद्धांत पर आधारित कई अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है। यह व्यवस्था करदाताओं से संबंधित सेवाओं को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक समाधान के रूप में प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। जीएसटी व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य प्रक्रिया-संबंधी विलम्ब को कम करके माल एवं सेवाओं के आवागमन में दक्षता को बढ़ाना था।

वे बिल एक ऐसी सुविधा थी जो जीएसटी से पहले की व्यवस्था में भी मौजूद थी, जिसमें माल की आवाजाही को मैनुअल रूप से संचालित (राजस्व) चेक पोस्ट के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। किसी विशेष राज्य में प्रवेश करने वाले माल पर 'प्रवेश कर' लगाया जाता था, जिसे अब जीएसटी के तहत समाहित कर लिया गया है। ई-वे बिल को सरकार द्वारा निगरानी आधारित कर प्रशासन मॉडल से करदाता द्वारा स्व-रिपोर्टिंग मॉडल में बदलाव के रूप में तैयार किया गया है।

ई-वे बिल को लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य राजस्व को सुरक्षित करना था। ई-वे बिल एक ऐसा दस्तावेज है जो माल की आवाजाही के लिए आवश्यक है और इसे माल के परिवहन से पहले उसका विवरण दर्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूरी प्रक्रिया के स्वचालन और मानकीकरण का उद्देश्य कर चोरी को रोकना और जीएसटी संग्रह को बढ़ाना था। ई-वे बिल को गैर-व्यापारिक बाधाओं, जैसे चेक पोस्ट और प्रवेश कर, को समाप्त करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है ताकि मार्गस्थ समय कम हो और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार हो।

2.4.2 विभाग की संगठनात्मक संरचना

राज्य कर, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के समग्र नियंत्रण में मुख्य आयुक्त, द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर (आरजीएसटी) अधिनियम तथा नियमों को

प्रशासित किया जाता है। मुख्य आयुक्त को 26 अतिरिक्त आयुक्त, 57 उपायुक्त तथा एक वित्तीय सलाहकार कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। सरकार की नीतियों तथा कराधान गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) को 16 संभागों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, मुख्यालय स्तर पर छह बिजनेस लेखा परीक्षा विंग, तीन केंद्रीय प्रवर्तन विंग, एक बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट, एक अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, केंद्रीय पंजीकरण इकाई, करदाता देखभाल इकाई तथा साइबर कक्ष कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, 10 प्रथम अपीलीय कार्यालय, दो जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल, 135 नियमित वृत्तों, नौ प्रवर्तन वृत्तों तथा 27 बिजनेस लेखा परीक्षा वृत्त स्थापित किए गए हैं। जोन स्तर पर निगरानी की जिम्मेदारी के लिए उपायुक्त (प्रशासन) वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होते हैं।

कर का निर्धारण एवं वसूली क्रमशः वृत्तों एवं वार्डों में पदस्थापित संयुक्त/उप/सहायक आयुक्तों के स्तर पर की जाती है। अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए 10 उपायुक्त (अपील) हैं, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं।

2.4.3 ई-वे बिल के प्रशासन में प्रयुक्त सूचना प्रणाली

जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के रूप में परिकल्पित किया गया है। जीएसटी परिषद ने निर्देश दिया है कि ई-वे बिल जारी करने के लिए कॉमन पोर्टल <https://ewaybillgst.gov.in/> होगा। यह जीएसटी कॉमन पोर्टल, (<https://gst.gov.in>) जो करदाताओं के लिए पंजीकरण, विवरणी दाखिल करने तथा कर भुगतान के लिए एक फ्रंट-एंड पोर्टल है, से अलग है। चूंकि ई-वे बिल कॉमन पोर्टल जीएसटीएन से जानकारी पर निर्भर करता है, इसलिए ई-वे बिल पोर्टल पर प्रेषक, प्राप्तकर्ता तथा परिवहनकर्ता को एक बार पंजीकरण कराना आवश्यक है। ई-वे बिल प्रणाली में तीन प्रकार के करदाता सम्बद्ध हैं: जीएसटी-पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, जीएसटी-पंजीकृत/अपंजीकृत परिवहनकर्ता, तथा अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता।

ई-वे बिल कॉमन पोर्टल का प्रबंधन कर्नाटक स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया जाता है। फरवरी 2020 में, ई-वे बिल पोर्टल को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वाहन प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि ई-वे बिल जारी करते समय वाहन पंजीकरण संख्या का सत्यापन हो सके। ई-वे बिल में दर्ज वाहन संख्या (आरसी) को वाहन डेटाबेस में उसकी मौजूदगी/यथार्थता के लिए सत्यापित किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी)/फास्टैग को 1 जनवरी 2021 से ई-वे बिल प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है तथा परिवहनकर्ता को वाहन में आरएफआईडी टैग रखना आवश्यक है, जिसमें ई-वे बिल विवरण अपलोड किए जाएंगे।

उचित अधिकारी (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश) ई-वे बिल से संबंधित अपने कर्तव्यों का निर्वहन दो तरीकों से कर सकते हैं: 1) प्रदान किए गए लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके वेब ब्राउज़र के माध्यम से ई-वे बिल कॉमन पोर्टल में लॉगिन करना या 2) गूगल प्ले स्टोर/एप्पल स्टोर पर उपलब्ध जीएसटी ई-वे बिल सिस्टम मोबाइल ऐप में लॉगिन करना। ई-वे बिल सत्यापन के लिए किसी अन्य पृथक साधन की आवश्यकता नहीं है। उचित अधिकारी द्वारा ई-वे बिल कॉमन पोर्टल/मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों में ई-वे बिल का सत्यापन, ई-वे बिल को अनब्लॉक करना, एमआईएस रिपोर्ट देखना और उन तक पहुंचना आदि हैं।

1. क्या ई-वे बिल तंत्र सरकार के राजस्व हितों के संरक्षण में प्रभावी था ।
2. क्या विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियाँ ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में दक्ष और प्रभावी थीं ।

2.4.5.2 लेखापरीक्षा मानदंड

“जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली” पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का मूल्यांकन निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों के आधार पर किया गया है:

- » केंद्रीय/राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम) तथा आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10, 17, 25, 29, 37, 39, 44, 68, 73, 74, 129, 130 इत्यादि ।
- » सीजीएसटी/आरजीएसटी नियम, 2017 तथा आईजीएसटी नियमों के नियम 46, 59, 60, 61, 62, 80, 138 इत्यादि ।
- » जीएसटी परिषद द्वारा अधिकृत एवं सीबीआईसी/राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) द्वारा जारी अधिसूचनाएँ/परिपत्र/निर्देश ।
- » एनआईसी, सीबीआईसी, सीटीडी द्वारा जारी परामर्श/मानक संचालन प्रक्रियाएँ ।

2.4.5.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा कार्यपद्धति

ई-वे बिल पोर्टल में पंजीकृत व्यक्तियों के ई-वे बिल लेनदेन, जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 की अवधि से संबंधित हैं, को विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में जीएसटी व्यवस्था में ई-वे बिल प्रणाली के समग्र निष्पादन की जांच की। लेखापरीक्षा अवधि के लिए ई-वे बिल का आंकड़ा (जारी ई-वे बिल) जीएसटीएन से निकाला गया तथा उसका विश्लेषण किया। इस लेखापरीक्षा के लिए केवल सड़क मार्ग से वाहनों की आवाजाही को शामिल किया गया है तथा रेलवे/वायु मार्ग/समुद्री मार्ग को ई-वे बिल की लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र में विभाग के निवारक कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल था, जो ई-वे बिल से संबंधित था जैसे कि वाहनों को रोकना, दस्तावेजों का सत्यापन, माल का निरीक्षण तथा इसके संबंध में की गई कार्रवाई।

परिचयात्मक बैठक 21 अप्रैल 2023 को सचिव, वित्त (राजस्व) एवं राजस्थान के मुख्य आयुक्त, राज्य कर के साथ आयोजित की गयी थी। लेखा परीक्षा कार्य मई 2023 से मार्च 2024 के मध्य किया गया। समापन बैठक 21 अप्रैल 2025 को सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार एवं विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गयी, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन बैठक के दौरान राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों एवं प्रारूप अनुच्छेदों पर प्राप्त लिखित उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

2.4.5.4 लेखापरीक्षा नमूनाकरण कार्य पद्धति

इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए एक समस्या-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अधीन ई-वे बिल जारी करना माल की किसी भी आवाजाही से पहले एक आवश्यक शर्त है। लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए नमूने, 22 प्रमुख समस्या क्षेत्रों/जोखिम आयामों के आधार पर विकसित किए गए हैं जिनके बारे में **परिशिष्ट-2.4** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-1:

लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए नमूना इकाई, लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र की अवधि में परिव्याप्त ई-वे बिल थे। जोखिम विश्लेषण के आधार पर कुल 160 ई-वे बिल²², जो 65 करदाताओं से संबंधित थे, को मूलभूत लेखा परीक्षा के लिए चुना गया। इसके अतिरिक्त, 32 अपंजीकृत व्यक्तियों के मामले एवं 12 ऐसे मामले जहां प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता का एक ही पैन दर्शाया गया था, भी चुने गए हैं।

इसके अतिरिक्त, छह जोखिम आयामों²³ के आधार पर संपूर्ण ई-वे बिल डेटा सेट का डेटा विश्लेषण किया गया तथा पाये गये विचलनों को सीधे विभाग को सत्यापन करने तथा उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए आक्षेप के रूप में जारी किया गया।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2:

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 के लिए, नमूना इकाई विभागीय संरचना थी जो निवारक/प्रवर्तन गतिविधियों से संबंधित थी। नौ प्रवर्तन वृत्तों में से, पांच प्रवर्तन वृत्तों²⁴ से 209 दर्ज किए गए मामलों का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त, तीन नियमित वृत्तों²⁵, जिनमें सबसे अधिक दर्ज किए गए मामले थे, से 80 दर्ज मामलों का भी चयन किया गया।

2.4.6 ई-वे बिल आंकड़ों की प्रवृत्ति तथा अंतर्दृष्टि

राजस्थान में, दिसंबर 2023 तक 8,72,352 करदाता²⁶ सक्रिय रूप से पंजीकृत थे। विभाग द्वारा ई-वे बिल के सत्यापन की प्रवृत्ति तथा लेखा परीक्षा में शामिल अवधि के लिए सम्मिलित

22 जोखिम विश्लेषण के आधार पर 160 मामलों का चयन किया गया।


23 ई-वे बिलों का जारी किया जाना (क) रद्द करदाताओं द्वारा (ख) जीएसटी विवरणी दाखिल न करने वालों द्वारा (ग) शून्य विवरण दाखिल करने वाले करदाताओं द्वारा (घ) निर्धारित सीमा पार कर चुके कंपोजिशन करदाताओं द्वारा (ङ) कंपोजिशन योजना में जारी अपात्र करदाताओं द्वारा तथा (च) एक ही चालान का उपयोग करके कई ई-वे बिलों को जारी किया जाना।

24 ए-प्रवर्तन विंग-I, जयपुर, बी-प्रवर्तन विंग-II, जयपुर, सी-प्रवर्तन विंग-I, जयपुर, सी-प्रवर्तन विंग-II, जयपुर तथा ए-प्रवर्तन विंग-III, जयपुर।

25 तीन नियमित वृत्त: ए-हनुमानगढ़, झुंझुनू तथा बी-उदयपुर।

26 डेटा स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन-2023-24।

राशि, जैसा कि राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई है, जिसे निम्नलिखित ग्राफ में दर्शायी गई है।



स्रोत: (वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)।

यह ग्राफ दर्शाता है कि सत्यापित ई-वे बिलों की कुल संख्या में 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान 2.62 लाख से घटकर 0.29 लाख की उल्लेखनीय कमी हुई। इसके अतिरिक्त, दर्ज किए गए मामलों के संबंध में, मामलों की संख्या तथा इसमें शामिल राशि 2018-19 में 3,048 मामलों में ₹ 43.94 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में 3,760 मामलों में राशि ₹ 79.06 करोड़ हो गयी थी। तथापि, 2019-20 से 2021-22 तक दर्ज किए गए मामलों की संख्या में 65.66 प्रतिशत की कमी आई, जो 2019-20 में 3,760 मामलों में राशि ₹ 79.06 करोड़ से घटकर 2021-22 में 1,291 मामलों में राशि ₹ 38.12 करोड़ रह गई।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

2.4.7 ई-वे बिलों के डेटा के विश्लेषण में पाये गये आक्षेप

अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान जारी किए गए ई-वे बिल डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 30,753 करदाताओं से सम्बंधित 2,00,440 ई-वे बिलों में विसंगतियाँ थीं जिनका सारांश नीचे दी गई तालिका 2.6 में प्रस्तुत किया गया है, ये विसंगतियाँ विभाग को सत्यापन तथा कर अनुपालन में विचलन निर्धारित करने के लिए लेखापरीक्षा आक्षेपों के रूप में जारी की गई थी।

तालिका 2.6: डेटा विश्लेषण में पाये गये आक्षेपों का विवरण

क्र. सं.	आक्षेप की प्रकृति	करदाताओं की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या	सम्मिलित मूल्यांकन योग्य मूल्य	वृत्त ²⁷
1	कम्पोजीशन योजना के करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय ई-वे बिल जारी करना	323	865	12.25	110
2	कम्पोजीशन योजना के तहत पंजीकृत करदाता जिन्होंने निर्धारित टर्नओवर सीमा (₹ 1 करोड़ रुपये तक) को पार कर लिया है, के द्वारा ई-वे बिल जारी करना।	7	1799	70.57	7
	कम्पोजीशन योजना के तहत पंजीकृत करदाता जिन्होंने निर्धारित टर्नओवर सीमा (₹ 1.5 करोड़ रुपये तक) को पार कर लिया है, के द्वारा ई-वे बिल जारी करना।	1	45	5.93	1
3	जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के द्वारा ई-वे बिल जारी करना	3507	31024	852.32	135
4	निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जारी करना	528	16752	1271.62	122
5	एक ही चालान का उपयोग करके कई ई-वे बिल जारी करना	8,009	29879	8.05	135
6	शून्य जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों के द्वारा ई-वे बिल जारी करना	18,378	1,20,076	4,443.64	135
	योग	30,753	2,00,440	6,664.38	645

इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विभाग तथा राज्य सरकार को जारी किया गया (दिसंबर 2024), जिसके उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (अप्रैल 2025) कि 5,205 करदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं तथा 19,537 करदाताओं से अभी तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है जबकि 6,011 करदाताओं के संबंध में आक्षेप को स्वीकार नहीं किया गया।

2.4.8 सरकार के राजस्व के संरक्षण में ई-वे बिल तंत्र की प्रभावशीलता

2.4.8.1 ई-वे बिल पोर्टल की लॉगिन आईडी उपलब्ध न कराने के कारण कार्यक्षेत्र सीमित होना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16, प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा अधिदेश प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18(2) कार्यालयों/विभागों पर सूचनाओं के अनुरोधों का यथासंभव पूर्ण रूप से एवं पूरी तत्परता से पालन करने का वैधानिक दायित्व डालती है।

27 राजस्थान में कुल वृत्तों की संख्या: 135

ई-वे बिल जारी करते समय प्रदान की गई जानकारी जैसे प्राप्तकर्ता का जीएसटीआईएन, डिलीवरी का स्थान, चालान संख्या, चालान तिथि, माल का मूल्य, एचएसएन कोड, आदि कॉमन पोर्टल पर पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जो इसका उपयोग प्रपत्र जीएसटीआर-1 में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कर सकता है। ई-वे बिल की सत्यता तथा बोवेव पोर्टल²⁸ पर इसके विश्लेषण करने के लिए विभाग से ई-वे बिल ऑफिसर मॉड्यूल के उपयोगकर्ता-आधारित आईडी तथा पासवर्ड का अनुरोध किया गया था। जवाब में, यह कहा गया कि इस मॉड्यूल तक पहुंच केवल विभाग के कर अधिकारियों को ही दी गई है।

ई-वे बिल ऑफिसर मॉड्यूल तक पहुंच के लिए लॉगिन आईडी प्रदान न करने के कारण, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि इन मामलों में करदाताओं ने जीएसटी रिटर्न में ई-वे बिल आपूर्ति के विवरण को सही ढंग से दर्ज किया है या नहीं। इसलिए, लेखापरीक्षा निष्कर्ष बोवेव पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड तथा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रश्नों के जवाब में प्रदान की गई प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

सिफारिश 1: राज्य सरकार लेखापरीक्षा के लिए ई-वे बिल पोर्टल पर केवल-पठन योग्य पहुंच प्रदान करने को सुनिश्चित कर सकती है।

2.4.8.2 निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना

आरजीएसटी नियम 2017 के नियम 138(1) में निर्धारित है कि पंजीकृत करदाताओं को ई-वे बिल जनरेट करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, यदि किसी कर योग्य व्यक्ति का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, लेकिन वह कर भुगतान के लिए उत्तरदायी था, तो उचित अधिकारी उस कर योग्य व्यक्ति की देनदारी का आंकलन अपने सर्वोत्तम विवेक के आधार पर कर सकता है। निरस्त किया गया करदाता ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वह रिटर्न दाखिल किए बिना आईटीसी को आगे हस्तांतरित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान नहीं हो पाता।

लेखापरीक्षा ने 24 करदाताओं²⁹ से संबंधित 62 ई-वे बिलों की पहचान उच्च जोखिम वाले करदाताओं के रूप की, जिनका निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 3.10 करोड़ था, जिनका पंजीकरण विभाग द्वारा पहले ही निरस्त कर दिया गया था या बाद में निरस्त किया गया था। इनमें छह करदाताओं के नौ ई-वे बिल शामिल हैं, जिनका निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 0.74 करोड़ था, ने या तो शून्य रिटर्न दाखिल की थी या अपने रिटर्न दाखिल नहीं किए थे। तथापि, लेखापरीक्षा सभी 22 प्रमुख समस्या क्षेत्रों के लिए इन करदाताओं द्वारा जनरेट किए गए सभी ई-वे बिलों की जांच नहीं कर सकी, क्योंकि ई-वे बिलों तक पहुंच के लिए लेखापरीक्षा को लॉगिन-आईडी प्रदान नहीं की गई थी।

इन सभी करदाताओं के पंजीकरण निरस्त करने का विवरण इस प्रकार है।

28 विभाग का बैकएंड एप्लीकेशन।

29 एक करदाता ने पंजीकरण निरस्त होने की तिथि के बाद एक ई-वे बिल तथा पंजीकरण निरस्त होने से पहले पांच ई-वे बिलों को जनरेट किया।

(i) विभाग द्वारा चार करदाताओं का पंजीकरण पूर्वव्यापी प्रभाव से निरस्त किया गया था। निरस्त करने के कारणों में इकाई का अस्तित्व में न होना, व्यवसाय का बंद होना या नोटिस का जवाब न देना आदि शामिल थे। लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध डेटा के अनुसार, इन मामलों में, करदाताओं ने ₹ 1.48 करोड़ निर्धारण योग्य मूल्य के 15 ई-वे बिल जनरेट किये।

(ii) दो करदाताओं के संबंध में, पंजीकरण निरस्त करने की प्रभावी तिथि वह तिथि थी जब विभाग द्वारा करदाताओं की नोटिस के प्रति गैर-प्रतिक्रिया के कारण पंजीकरण निरस्त किया गया था। लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध डेटा के अनुसार, इन करदाताओं ने पंजीकरण निरस्त करने की तिथि के बाद ₹ 0.03 करोड़ निर्धारण योग्य मूल्य के तीन ई-वे बिल जनरेट किये।

(iii) 19 करदाताओं के संबंध में, जिनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था (7 करदाताओं का पंजीकरण पूर्वव्यापी रूप से निरस्त किया गया था और 12 करदाताओं का पंजीकरण निरस्तीकरण आदेश की तिथि से निरस्त किया गया था), निरस्तीकरण करने की प्रभावी तिथि से पहले ₹ 1.59 करोड़ निर्धारण योग्य मूल्य के 44 ई-वे बिल जनरेट थे।

तथापि, निरस्त किए गए इन मामलों की जांच से पता चला कि विभाग ने निरस्तीकरण के समय किसी भी कर दायित्व का निर्धारण नहीं किया था तथा बिना किसी मांग के निरस्तीकरण आदेश जारी कर दिए थे। इस प्रकार, ₹ 3.10 करोड़ निर्धारण योग्य मूल्य पर, लागू दरों से जीएसटी का सरकार को भुगतान नहीं किया गया था।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि 21 करदाताओं (56 ई-वे बिलों में) को डीआरसी-01³⁰/डीआरसी-07³¹/नोटिस जारी किए गए हैं एवं एक करदाता (चार ई-वे बिलों में) से ₹ 2.66 लाख की वसूली की गई है। इसके अतिरिक्त दो करदाताओं (दो ई-वे बिलों में) के मामले में, वृत्त अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

उदाहरणस्वरूप प्रकरण नीचे दिए गए हैं:

(i) वृत्त-के जयपुर-III के एक 'करदाता' ने माह अगस्त 2020 में ₹ 1.14 करोड़ कर योग्य मूल्य वाले पाँच ई-वे बिल जनरेट किये। तथापि, इस करदाता ने अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक जीएसटीआर-3बी में शून्य रिटर्न भरी थी तथा उसके बाद कोई रिटर्न दाखिल नहीं की थी।

अभिलेखों की अग्रतर जांच से पता चला कि विभाग ने सितंबर 2020 में यूनिट के अस्तित्व में न होने के कारण करदाता का पंजीकरण 1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी रूप से निरस्त कर दिया था। तथापि, विभाग ने निरस्तीकरण आदेश में किसी भी कर देयता का निर्धारण नहीं किया था।

30 एससीएन का सारांश।

31 आदेश का सारांश (कर, ब्याज तथा शास्ति)।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि करदाता फर्जी पाया गया था, इसलिए पंजीकरण प्रारम्भ की तिथि से ही अर्थात् 1 जुलाई 2017 से निरस्त कर दिया गया था तथा केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा ₹ 3462 की मांग कायम की गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन पाँच ई-वे बिलों का ही कर योग्य मूल्य ₹ 1.14 करोड़ था तथा ऐसे और भी ई-वे बिलों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ii) दो वृत्तों³² से संबंधित दो करदाताओं ने ₹ 2.75 लाख कर योग्य मूल्य के तीन ई-वे बिल जनरेट किये।

एक करदाता के मामले में, पंजीकरण निरस्त होने की तिथि के पश्चात् 18 जनवरी 2020 को ₹ 0.70 लाख निर्धारण योग्य मूल्य का ई-वे बिल जनरेट किया गया था एवं उस करदाता ने अक्टूबर 2019 के लिए केवल जीएसटीआर-3बी शून्य रिटर्न दाखिल की थी तथा उसके बाद वर्ष 2019-20 के दौरान कोई रिटर्न दाखिल नहीं की थी। अभिलेखों की अग्रेतर जांच से पता चला कि विभाग ने 17 जनवरी 2020 (निरस्तीकरण आदेश की तिथि) से करदाता का पंजीकरण निरस्त कर दिया था, लेकिन विभाग ने किसी भी कर देयता का निर्धारण नहीं किया था।

इसी तरह, दूसरे करदाता के मामले में, जून एवं अगस्त 2019 के दौरान ₹ 2.05 लाख निर्धारण योग्य मूल्य के दो ई-वे बिल जनरेट किये गये थे तथा उस करदाता ने वर्ष 2019-20 के दौरान केवल अप्रैल 2019 के लिए जीएसटीआर-3बी शून्य रिटर्न अक्टूबर 2020 में दाखिल की थी तथा उसके बाद कोई रिटर्न दाखिल नहीं की गयी थी। विभाग ने 21 नवम्बर 2019 (निरस्तीकरण आदेश की तिथि) से करदाता का पंजीकरण निरस्त करते समय किसी भी कर देयता का निर्धारण नहीं किया था। यह भी देखा गया कि करदाता ने अप्रैल 2019 का जीएसटीआर-3बी शून्य रिटर्न अक्टूबर 2020 में अर्थात् पंजीकरण निरस्त होने के बाद दाखिल किया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि एक प्रकरण में क्षेत्राधिकारी को निर्देश जारी किया गया है तथा दूसरे प्रकरण में मांग कायम की गई है। उत्तर में पंजीकरण निरस्त होने के बाद ई-वे बिल जनरेट करने के मामले पर ध्यान नहीं दिया गया।

सिफारिश 2: सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित कर सकती है कि पूर्वव्यापी रूप से पंजीकरण निरस्त करने वाले उचित अधिकारी, कर देयता का निर्धारण करें या जनरेट किये गये ई-वे बिलों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम निर्णय लें।

सिफारिश 3: राज्य सरकार एनआईसी के साथ यह सुनिश्चित कर सकती है कि निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि के बाद ई-वे बिलों के जनरेशन को रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन बनाए गए हैं।

32 वृत्त किशनगढ़, अजमेर और वृत्त-बी, राजसमंद।

2.4.8.3 कंपोजिशन योजना के तहत अपात्र करदाताओं का जारी रहना

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 (अधिनियम) की धारा 10 (1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर निर्धारित सीमा³³ से अधिक नहीं था, वह कंपोजिशन योजना के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। अधिनियम की धारा 10(2)(सी) यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति माल की कोई अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति में लगा हुआ है, तो वह कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा। आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, उचित अधिकारी द्वारा करदाताओं द्वारा दाखिल की गयी विभिन्न विवरणियों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए उनकी जांच की जानी चाहिए, और विवरणियों में परिलक्षित किसी भी विसंगति या अनियमितता पर उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

डेटा विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत कंपोजिशन लेवी योजना में पंजीकृत दो करदाताओं ने अप्रैल 2019 से जनवरी 2021 की अवधि के दौरान ₹ 3.29 करोड़ निर्धारण योग्य मूल्य की जावक आपूर्ति के लिए 31 ई-वे बिल जनरेट किए थे। इसके अलावा, करदाताओं का कुल टर्नओवर कंपोजिशन योजना के लिए निर्धारित सीमा से अधिक हो गया था और इसलिए, करदाताओं को टर्नओवर की सीमा पार करने की तिथि से अपना पंजीकरण 'सामान्य श्रेणी' में बदलवाना आवश्यक था तथा वे सामान्य दरों पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने एक करदाता से संबंधित 29 ई-वे बिलों के प्रकरण में बताया (अप्रैल 2025) कि करदाता द्वारा आपूर्ति किया गया माल बिक्री के लिए नहीं बल्कि भंडारण के लिए था तथा जीएसटी का कोई अपवचन नहीं हुआ है। इसके अलावा, दो ई-वे बिलों के संबंध में यह बताया गया कि डीआरसी-07 जारी कर दिया गया है।

2.4.8.4 संदिग्ध वाहनों द्वारा किए गए लेन-देनों के लिए ई-वे बिल जारी करना

आरजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 138(2) के अनुसार, जहाँ माल का परिवहन पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रेषक के रूप में, चाहे अपने वाहन में हो या किराए के वाहन में या सार्वजनिक वाहन में, सड़क मार्ग से किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01³⁴ के भाग बी में जानकारी प्रस्तुत करने के बाद कॉमन पोर्टल पर प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-वे बिल जारी करेगा। जहाँ माल को सड़क मार्ग से परिवहन के लिए एक ट्रांसपोर्टर को सौंपा जाता है, वहाँ पंजीकृत व्यक्ति कॉमन पोर्टल पर ट्रांसपोर्टर से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगा तथा ई-वे बिल पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ए में प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर ट्रांसपोर्टर द्वारा उक्त पोर्टल पर जारी किया जाएगा। वाहन संख्या प्रपत्र ईडब्ल्यूबी-01 के भाग-बी में प्रदान करना आवश्यक है।

33 कंपोजिशन योजना के लिए पात्र होने की प्रति वर्ष सीमा 01.04.2018 से 31.01.2019 तक ₹ 1 करोड़ थी तथा उसके बाद ₹ 1.5 करोड़। विशेष श्रेणी के राज्यों के संबंध में यह ₹ 75 लाख है।

34 माल की आवाजाही के लिए बिला इसे शिपमेंट शुरू होने से पहले ई-वे बिल पोर्टल पर जनरेट किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान, 10 करदाताओं द्वारा जनरेट किए गए 12 ई-वे बिल लेनदेनों को जोखिमपूर्ण के रूप में पहचाना गया, क्योंकि इन लेनदेनों को चोरी/स्क्रेप किए गए/सरेंडर किए गए वाहनों आदि का उपयोग करके किया गया था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 2.7 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 2.7 - संदिग्ध वाहनों द्वारा जनरेट किए गए ई-वे बिल

क्र. सं.	वृत्त	जनरेट किये गये ई-वे बिलों में उपयोग किये गये वाहनों की प्रकृति	ई-वे बिलों की संख्या	करदाताओं की संख्या	उत्तर/खण्डन
1	डी तथा जी, जयपुर-III	दोपहिया	02	02	एक प्रकरण में, करदाता द्वारा घोषित स्थान पर कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं पायी गयी, इसलिए करदाता का पंजीकरण ही निरस्त कर दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनरेट किए गए ई-वे बिल यह दर्शाते हैं कि व्यावसायिक गतिविधि की गई थी। दूसरे प्रकरण में, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
2	डी, जयपुर-III	चोरी के वाहन	02	01	डीआरसी-07 जारी कर दिया गया है।
3	ए, बीकानेर	निलंबित वाहन	01	01	डीआरसी-07 जारी कर दिया गया है।
4	जे जयपुर-II तथा एल जयपुर-III	सरेंडर किए गए वाहन	02	02	एक प्रकरण में, पंजीकरण पहले ही निरस्त कर दिया गया था तथा प्राप्तकर्ता की आईटीसी की जाँच की जा रही है। दूसरे प्रकरण में, सीजीएसटी प्राधिकरण द्वारा सर्वे तथा तलाशी की कार्रवाई पूरी कर ली गई है।
5	जी, जयपुर-II तथा एन, जयपुर-III	स्क्रेप किये गये वाहन	02	02	डीआरसी-01/नोटिस जारी कर दिया गया है।
6	एच जयपुर-II	जिन वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है	03	02	दो प्रकरणों में, यह बताया गया है कि करदाता सरकारी अस्पतालों को दवाओं की आपूर्ति में लगा हुआ था जो कर-मुक्त/छूट प्राप्त हैं तथा करदाता ने अपने रिटर्न में किसी भी कर देयता की घोषणा नहीं की थी। उत्तर में संदिग्ध वाहनों का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

तथापि, विभाग विवरणियों की जांच करके इन चूकों की पहचान नहीं कर सका और सुधारात्मक कार्रवाई नहीं कर सका।

सिफारिश 4: राज्य सरकार एनआईसी के साथ मिलकर ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण लागू करने का प्रकरण उठा सकती है जिससे संदिग्ध वाहनों का उपयोग कर ई-वे बिल जारी होने से रोका जा सके।

2.4.9 क्रॉस-पैन विश्लेषण के संबंध में ना चुकाई गई कर देयता

आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम की धारा 23 और धारा 24 के अनुसार, एक व्यक्ति जो कई राज्यों में जीएसटी पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है, वह एक ही स्थायी स्थाता संस्था (पैन) के साथ किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक से अधिक जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। अधिनियम की अनुसूची I (2) और धारा 25 के अनुसार, एक ही पैन के तहत विभिन्न

जीएसटी पंजीकरणों के बीच कोई भी आपूर्ति, भले ही वह बिना किसी प्रतिफल के की गई हो, आपूर्ति के रूप में मानी जाएगी।

डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि एक ही पैन के तहत कई राज्यों में पंजीकृत एक करदाता ने जुलाई 2018 में एक ई-वे बिल जनरेट किया तथा राजस्थान इकाई से अपनी महाराष्ट्र इकाई को निर्धारण योग्य राशि ₹ 7.99 करोड़ के सामान की आपूर्ति की थी। तथापि, करदाता ने जुलाई 2018 के लिए जीएसटीआर-1 में ₹ 4.45 करोड़ की कर योग्य जावक आपूर्ति घोषित की थी जिसमें से उसकी महाराष्ट्र इकाई को आपूर्ति शून्य थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.99 करोड़ का टर्नओवर छुपाया गया।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि करदाता द्वारा जुलाई 2019 के जीएसटीआर-3बी में कर देयता का निर्वहन किया गया था तथा जीएसटीआर-1 में भी इसे घोषित किया गया था लेकिन इस लेनदेन को जुलाई 2019 के जीएसटीआर-1 में 'बिजनेस टू कंज्यूमर' (बीटूसी) के रूप में दिखाया गया था। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि करदाता ने जुलाई 2019 के जीएसटीआर-1 में बीटूसी आपूर्तियों के समक्ष केवल ₹ 1.29 करोड़ घोषित किए थे, जबकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित ई-वे बिल की आपूर्ति का मूल्य ₹ 7.99 करोड़ था। इसके अलावा, जीएसटीआर-1 की तालिका 4 में घोषित 'बिजनेस टू बिजनेस (बीटूबी)' आपूर्तियों में सहयोगी इकाइयों को कोई आपूर्ति नहीं दिखाई गई थी। इसलिए, ₹ 6.70 करोड़ के शेष आपूर्ति मूल्य (बीटूसी आपूर्तियों के रूप में इंगित ₹ 1.29 करोड़ के मूल्य को घटाने के बाद) पर कर देयता का निर्वहन नहीं हुआ।

2.4.10 अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा जनरेट किए गए ई-वे बिल, जिनका कर योग्य माल का मूल्य निर्धारित पंजीकरण सीमा से अधिक है

सीजीएसटी/आरजीएसटी नियमों के नियम 138(1) के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, जो निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य के सामान की आवाजाही करता है, उसे ऐसी आवाजाही शुरू करने से पहले, कॉमन पोर्टल पर प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ए में निर्दिष्ट सामान से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी और ई-वे बिल जनरेट करना होगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता, जिसका एक वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक है (01.01.2020 से केवल माल के आपूर्तिकर्ता के लिए 40 लाख रुपये), इस अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

यह पाया गया कि अवधि 2018-19 से 2021-22 के दौरान, अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से ₹ 590.20 करोड़ मूल्य के माल की जावक आपूर्ति के लिए 29 ई-वे बिल जनरेट किए गए थे जिनका मूल्य ₹ 0.62 करोड़ से ₹ 500 करोड़ के मध्य था। लेखापरीक्षा ने केवल उन ई-वे बिलों का चयन किया था जो अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा राजस्थान से माल की जावक आपूर्ति करने के लिए जनरेट किए गए थे और जिनका कर योग्य मूल्य ₹ 40 लाख से अधिक था।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि सभी प्रकरणों में संबंधित वृत्ताधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। चूंकि इन अपंजीकृत व्यक्तियों ने निर्धारित सीमा से अधिक के ई-वे बिल जनरेट किए थे, इसलिए ये व्यक्ति जीएसटी के तहत पंजीकरण लेने तथा कर देयता का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी थे। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

2.4.11 अमान्य पिन कोड का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करना

लेखापरीक्षा ने दो वृत्तों³⁵ के अन्तर्गत आने वाले दो करदाताओं से संबंधित दो ई-वे बिल, जिनका निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 0.23 करोड़ था, में यह पाया कि ई-वे बिल जारी करते समय अमान्य पिन कोड दर्ज किए गए थे, जो भारतीय डाक विभाग के पिन कोड डेटाबेस में उपलब्ध नहीं थे।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि यह विसंगति टंकण त्रुटि के कारण हुई थी।

सिफारिश 5: राज्य सरकार एनआईसी के साथ इस प्रकरण को उठा सकती है ताकि ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण शामिल किए जा सकें, जिससे अमान्य पिन कोड के साथ ई-वे बिल जारी करने को रोका जा सके।

2.4.12 विभाग के निवारक/प्रवर्तन कार्य

- **ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में निवारक/प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता**

इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दूसरे उद्देश्य के संबंध में, लेखापरीक्षा ने प्रवर्तन इकाइयों के ई-वे बिलों से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया, जिसमें विशेष रूप से (i) परिचालन तैयारियों, (ii) कर वंचन-रोधी उपायों की प्रभावशीलता तथा (iii) ई-वे बिल से संबंधित लेनदेन की निगरानी में अंतर-विभागीय समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस उद्देश्य के लिए, लेखापरीक्षा ने राज्य वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आने वाले पांच प्रवर्तन वृत्तों तथा तीन नियमित वृत्तों को नमूने के रूप में चयनित किया।

2.4.12.1 विभाग की परिचालन तैयारियाँ

- **लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ:**

लेखापरीक्षा ने आयुक्तालय/संभागों/वृत्तों द्वारा वाहन अवरोधन के माध्यम से ई-वे बिलों के सत्यापन के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा उनके सापेक्ष उपलब्धियों का विवरण मांगा। निवारक इकाइयों ने कहा कि प्रवर्तन शाखाओं के पास ई-वे बिलों के सत्यापन के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं थे। सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने प्रवर्तन शाखाओं द्वारा की गई गतिविधियों में कई कमियों तथा स्वामियों को देखा, जिनका विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है:

35 वृत्त बी, जयपुर-III और वृत्त ए, बीकानेर।

2.4.12.2 प्रस्तुत नहीं किए गए दस्तावेजों के कारण कार्य क्षेत्र सीमित होना

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16, प्राप्ति की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा अधिदेश प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा के दौरान, दर्ज किए गए मामलों से संबंधित जानकारी तथा अभिलेख जैसे दर्ज किए गए प्रकरणों की पत्रावलियाँ, एमओवी -01³⁶ से एमओवी -11³⁷, तथा प्रवर्तन विंग मॉड्यूल पर उपलब्ध विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आदि की मांग की गई।

दर्ज किए गए 289 ई-वे बिल प्रकरणों के नमूने में से, पांच प्रवर्तन वृत्तों में से चार ने 46 प्रकरणों के अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये। इस प्रकार, चयनित नमूने के 15.92 प्रतिशत की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। तथापि, इन प्रकरणों को विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गई अतिरिक्त प्रकरण पत्रावलियों से बदल दिया गया। प्रस्तुत नहीं किये गये का विवरण नीचे तालिका 2.8 में दिया गया है:

तालिका-2.8: प्रस्तुत नहीं किये गये का विवरण

क्षेत्राधिकार वृत्त/संभाग	चयनित दर्ज किए गए प्रकरणों की संख्या	दर्ज प्रकरणों के अभिलेख प्रस्तुत न करना
ए, प्रवर्तन विंग-I, जयपुर	50	5
सी, प्रवर्तन विंग-I, जयपुर	50	2
बी, प्रवर्तन विंग-II, जयपुर	50	23
सी, प्रवर्तन विंग-II, जयपुर	50	16
कुल		46

इसके अलावा, चार विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है

- (क) नागरिकों द्वारा जनरेट किये गये ई-वे बिल (श्रृंखला एच5)
- (ख) बिना वाहन गतिविधि वाले ई-वे बिल (श्रृंखला बी1)
- (ग) एक ही वाहन का उपयोग करके ई-वे बिल का पुनर्चक्रण (श्रृंखला बी4)
- (घ) अलग-अलग वाहनों का उपयोग करके ई-वे बिल का पुनर्चक्रण (श्रृंखला बी5)

समापन परिचर्चा के दौरान, अतिरिक्त आयुक्त, बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (बीआईयू) ने कहा कि वृत्तों के पुनर्गठन के कारण, ये पत्रावलियाँ अन्य वृत्तों में स्थानांतरित कर दी गई थीं तथा

36 माल की जब्ती के समय चालक का कथन।

37 माल तथा वाहन की जब्ती का आदेश - कर, जुर्माना तथा शास्ति की मांग।

इनका पता नहीं लगाया जा सका। तथापि, विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

सिफारिश 6: राज्य सरकार को अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं किये जाने के मामले की जांच करनी चाहिए तथा भविष्य में बेहतर अभिलेख रखरखाव एवं लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.4.12.3 शास्ति का अनुचित आरोपण

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 (1) यह निर्धारित करती है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी माल का परिवहन करता है या किसी माल का भंडारण करता है, वहाँ उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में प्रयुक्त सभी माल और वाहन तथा ऐसे माल और वाहन से संबंधित दस्तावेज हिरासत या जब्ती के अधीन होंगे और हिरासत या जब्ती के पश्चात् जुर्माने के भुगतान के बाद निर्मुक्त हो सकेंगे।

(क) ऐसे माल पर देय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर जुर्माना के भुगतान पर और छूट प्राप्त माल के मामले में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के भुगतान पर, जहाँ माल का मालिक ऐसे दंड के भुगतान के लिए आगे आता है, (ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत या ऐसे माल पर देय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर जुर्माना, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने पर, और छूट प्राप्त माल के मामले में, माल के मूल्य के पाँच प्रतिशत के बराबर राशि या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के भुगतान पर, जहाँ माल का मालिक, ऐसे जुर्माने का भुगतान करने के लिए आगे नहीं आता है।

(i) शास्ति ₹ 70.87 लाख का कम आरोपण

लेखा परीक्षा के दौरान, चार वृत्तों से संबंधित छह वाहनों में यह देखा गया कि माल के भौतिक सत्यापन के बाद, विभाग ने लागू कर तथा शास्ति के भुगतान के लिए वाहन अथवा माल के मालिकों/प्रभारी व्यक्तियों को एमओवी-07³⁸ जारी किया। इसके बाद, अधिनियम की धारा 129(1)(क) के अंतर्गत कर तथा शास्ति की मांग के आदेश वाहन अथवा माल के मालिकों/प्रभारी व्यक्तियों को जारी किए गए। जांच में पता चला कि इन प्रकरणों में रोके गये माल के मालिक न तो स्वयं आगे आये तथा न ही किसी व्यक्ति को लागू कर तथा शास्ति के भुगतान के लिए अधिकृत किया गया। वाहन के प्रभारी व्यक्ति ने प्रावधानों के तहत लगाए गए कर तथा शास्ति का भुगतान किया। विभाग अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू नहीं कर सका तथा अधिनियम की धारा 129(1)(ख) के बजाय धारा 129(1)(क) के तहत कम शास्ति लगायी। इससे शास्ति की राशि ₹ 70.87 लाख का कम आरोपण हुआ।

38 माल के निरीक्षण के परिणाम पर कारण बताओ नोटिस।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि माल का मालिक या उसका प्रतिनिधि प्राधिकार पत्र के माध्यम से माल का दावा करने के लिए आगे आया था, इसलिए धारा 129(1)(क) के तहत शास्ति लगायी गयी। तथापि, मालिक/प्राप्तकर्ता का प्राधिकार पत्र न तो लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध था तथा न ही उत्तरों के साथ उपलब्ध कराया गया। इसलिए, विभाग के दावे की सत्यता की जांच लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।

(ii) अतिरिक्त शास्ति राशि ₹ 18.94 लाख का आरोपण

चयनित दर्ज किए गए प्रकरणों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दो प्रकरणों में, माल/वाहन के मालिकों द्वारा अपने पहचान पत्र के साथ प्राधिकार पत्र एवं सरकार के खजाने में कर तथा शास्ति जमा करने की सहमति देने के बावजूद, विभाग ने धारा 129(1)(क) के बजाय धारा 129(1)(ख) के तहत शास्ति लगायी। इसके परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा ₹ 18.94 लाख की अतिरिक्त शास्ति लगायी गयी।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि माल का मालिक शास्ति चुकाने के लिए आगे नहीं आया तथा इसलिए, आरजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 129(1)(ख) के तहत शास्ति लगायी गयी, जिसमें कोई राजस्व हानि नहीं हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माल के दावेदार ने दावे के समर्थन में प्राधिकार पत्र तथा पहचान पत्र प्रस्तुत किए थे, जो कि संबंधित दर्ज किए गए प्रकरण की पत्रावली में उपलब्ध थे। इसलिए, धारा 129(1)(क) के तहत कम शास्ति लगायी जानी चाहिए थी।

2.4.12.4 नीलामी में असामान्य देरी के कारण राजस्व की हानि

आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 144 के साथ पठित सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 79(1), उचित अधिकारी के नियंत्रण में जब्त माल की बिक्री द्वारा वसूली प्रक्रिया निर्दिष्ट करती है:

(1) जहां किसी चूककर्ता के द्वारा देय कोई राशि धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति से संबंधित माल को बेचकर वसूल की जानी है तो वहां उचित अधिकारी ऐसे माल की एक सूची तैयार करेगा तथा उसके बाजार मूल्य का अनुमान लगाएगा एवं केवल उतना ही माल बेचने की कार्यवाही करेगा जितना देय राशि तथा वसूली प्रक्रिया पर किए गए प्रशासनिक खर्चों को वसूल करने के लिए आवश्यक हो।

(2) उक्त माल को नीलाम करके, जिसमें ई-नीलामी भी शामिल है, बेचा जाएगा, जिसके लिए प्रपत्र 'जीएसटी डीआरसी-10'³⁹ में एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें बेचे जाने वाले माल तथा बिक्री के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

39 माल की नीलामी के लिए नोटिस (ई-नीलामी सहित)।

बशर्ते कि जहां माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या परिसंकटमय प्रकृति का हो या जहां उन्हें अभिरक्षा में रखने का स्वर्च उनके मूल्य से अधिक होने की संभावना हो, वहां उचित अधिकारी उन्हें तुरंत बेच सकेगा।

(i) वृत्त बी, प्रवर्तन विंग II जयपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग ने अगस्त 2019 में अधिनियम की धारा 130 के अंतर्गत एक मामले में वाहन सहित तंबाकू/जर्दा जैसे माल को जब्त कर लिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर, जुर्माना तथा शास्ति की मांग के लिए ₹ 43.94 लाख (जब्त किए गये माल का मूल्य ₹ 29.49 लाख तथा जुर्माना एवं शास्ति के रूप में ₹ 14.45 लाख) का जीएसटी-एमओवी-10⁴⁰ जारी किया गया (अक्टूबर 2019)। तदनुसार, जीएसटी-एमओवी-11 जारी किया गया (जनवरी 2020)। जब्त किया गया माल शीघ्र नष्ट होने वाला था तथा इसकी समाप्ति तिथि अगस्त 2020 थी। इसके अलावा, जब्त किए गए माल एवं वाहन का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक तीन-सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया था।

इसके पश्चात, राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने विभाग को सूचित किया (नवंबर 2021) कि जब्त किया गया माल मानव उपभोग के लिए समाप्त हो चुका है और यह अनुशंसा करी कि इसके शीघ्र नष्ट होने की प्रकृति के कारण आगे पुनः प्रसंस्करण संभव नहीं था। बाद में, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की सहायता से, इस माल का निपटान किया गया (मार्च 2022) तथा विज्ञापन स्वर्च सहित ₹ 0.26 लाख का व्यय हुआ। इसके परिणामस्वरूप, इस शीघ्र नष्ट होने वाले माल के निपटान में देरी के कारण राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। उत्तर प्रतीक्षित था। (अगस्त 2025)।

(ii) वृत्त-सी, प्रवर्तन विंग-I, जयपुर की लेखापरीक्षा के दौरान तीन प्रकरणों में यह देखा गया कि विभाग ने फरवरी 2020 तथा जुलाई 2020 के माह में अधिनियम की धारा 130 के तहत ₹ 52 लाख मूल्य के माल यथा ऑटोमोबाइल पार्ट्स, जूते, प्रेशर कुकर, एलपीजी स्टोव, टूल्स, हेलमेट तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि को वाहन के साथ जब्त किया था। तथापि, चार वर्ष बीत जाने के बावजूद इन सामानों की नीलामी पूरी नहीं हुई। माल की नीलामी में देरी करने से जब्त किए गए माल के अप्रचलित होने तथा स्वराब होने का जोखिम बढ़ जाता है।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि नीलामी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है तथा नीलामी मई 2025 में आयोजित की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी। (अगस्त 2025)।

2.4.12.5 आरजीएसटी तथा सीजीएसटी का गलत आरोपण

एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि सभी अंतर-राज्यीय माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एकीकृत माल एवं सेवा कर लगाया जाएगा।

40 माल और वाहन की जब्ती की सूचना (सं. आरजे 14 जीके 6646)।

इसके अतिरिक्त, आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 में कर के आवंटन तथा निधियों के निपटान का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग ने 29 वाहनों/परिवहनों को रोका तथा अधिनियम की धारा 129(1) के तहत प्रपत्र जीएसटी एमओवी-06⁴¹ तथा एमओवी-09⁴² के माध्यम से माल तथा वाहन को हिरासत में लेने के लिए आदेश जारी किया एवं इसे राज्य के अंदर आपूर्ति मानते हुए आरजीएसटी तथा सीजीएसटी लगाया।

दर्ज प्रकरण पत्रावलियों में चालान, ड्राइवर के बयान (एमओवी-01) तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आपूर्ति किया गया माल अंतर-राज्यीय था और इसलिए, आईजीएसटी वसूलनीय था। तथापि, विभाग ने इसे राज्य के अंदर आपूर्ति मानकर आरजीएसटी तथा सीजीएसटी वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप कर का गलत आरोपण हुआ, जिसके परिणामतः उस सीमा तक कर का गलत आवंटन भी हुआ।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने 16 प्रकरणों के संबंध में बताया (अप्रैल 2025) कि जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है तथा माल अंततः राजस्थान पहुंचाया गया था और इसमें कोई राजस्व हानि नहीं है। छह प्रकरणों में, यह कहा गया था कि ड्राइवर द्वारा माल राजस्थान में पहुंचाया जाना था। इसके अलावा, सात प्रकरणों में यह कहा गया था कि ड्राइवर ने वाहन/माल की अंतर-राज्यीय आवाजाही के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये तथा इसे राजस्थान में ही पहुंचाया जाना था।

उत्तर इस तथ्य के अनुसार मान्य नहीं हैं क्योंकि एमओवी-01/ड्राइवर के कथन तथा दर्ज पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के अनुसार यह स्पष्ट था कि आपूर्ति अंतर-राज्यीय थी।

2.4.12.6 आपूर्ति के स्थान का गलत निर्धारण

आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 10(1) निर्दिष्ट करती है कि भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की आपूर्ति को छोड़कर, अन्य माल की आपूर्ति का स्थान निम्नानुसार होगा:

(अ) जहाँ आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल है, चाहे वह आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसे माल की आपूर्ति का स्थान उस समय माल का स्थान होगा जिस समय प्राप्तकर्ता को डिलीवरी के लिए माल की आवाजाही समाप्त हो जाती है;

(ब) जहाँ माल आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर, चाहे वह एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो या अन्यथा, माल की आवाजाही से पहले या उसके दौरान, या तो माल के शीर्षक के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा या अन्यथा, वितरित किया जाता है, यह माना जाएगा कि उक्त तीसरे व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है और ऐसे माल की आपूर्ति का स्थान उस व्यक्ति के व्यवसाय का मुख्य स्थान होगा;

41 दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने या दोषपूर्ण दस्तावेजों के लिए हिरासत का आदेश।

42 कर तथा शास्ति की मांग का आदेश (हिरासत में लिए गए माल/वाहन)।

(स) जहाँ आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल नहीं है, चाहे वह आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता द्वारा हो, आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता को डिलीवरी के समय ऐसे माल का स्थान होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने 46 वाहनों/परिवहनों (174 प्रकरण) को रोका। विभाग ने एमओवी-06 में हिरासत आदेश जारी करने के बाद देय राशि निर्धारित करते हुए कर तथा शास्ति की मांग के आदेश जारी किए। तत्पश्चात्, संबंधित व्यक्ति (माल के मालिक/प्रतिनिधि/वाहन के प्रभारी) के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में मांग जोड़ने के लिए कॉमन पोर्टल पर डीआरसी-07/डीआरसी-01 (आदेश का सारांश) जारी किया गया था। विभाग द्वारा डीआरसी-07/डीआरसी-01 के संबंधित कॉलम में आपूर्ति के स्थान का भी उल्लेख किया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (एमओवी-04⁴³), डीआरसी-07/डीआरसी-01 के अनुसार आपूर्ति का स्थान राजस्थान बताया गया था। तथापि, ड्राईवर के कथन तथा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए संबंधित चालान/बिलों एवं अन्य अभिलेखों के अनुसार, आपूर्ति का स्थान राजस्थान के अलावा अन्य दिस्वाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, उस सीमा तक आईजीएसटी के तहत कर, शास्ति तथा जुर्माना के लिए आपूर्ति के स्थान का गलत वर्गीकरण हुआ।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि 64 प्रकरणों में, वाहन के मालिक/चालक ने वाहन/माल की अंतर-राज्यीय आवाजाही के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। आठ प्रकरणों में यह कहा गया कि राजस्व हित में प्रभारी अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित की गयी थी क्योंकि माल अंततः राजस्थान पहुँचाया गया था। शेष 102 प्रकरणों में, वाहनों को शहरी क्षेत्र में माल उतारते समय रोका गया था तथा यह मानने का कोई कारण नहीं था कि वाहन राज्य से बाहर जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमओवी-01/चालान/बिल तथा माल के चालक/मालिक की घोषणा के अनुसार, आपूर्ति राजस्थान के अलावा अन्य जगह समाप्त हो रही थी। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों में शहरी क्षेत्र में माल उतारने का कोई प्रमाण नहीं मिला तथा लेखापरीक्षा को कोई भी ऐसा पुष्टि स्वरूप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह प्रमाणित कर सके कि माल शहर में उतारा जा रहा था।

2.4.12.7 पहले से पंजीकृत करदाताओं के लिए अस्थायी जीएसटीआईएन

(i) पहले से पंजीकृत करदाताओं के लिए अस्थायी पंजीकरण जारी करना

वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आरजीएसटी परिपत्र संख्या 05/2018 दिनांक 26.04.2018 के पैरा 2(v) के अनुसार, जहाँ अपंजीकृत व्यक्ति के मामले में कोई इलेक्ट्रॉनिक देयता स्वाता उपलब्ध नहीं है, वहाँ उचित अधिकारी द्वारा कॉमन पोर्टल पर एक अस्थायी आईडी बनाई जाएगी और उसमें देयता दर्शायी जाएगी।

43 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट।

चयनित दर्ज किए गए प्रकरणों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि विभाग ने 40 करदाताओं के संबंध में 42 अस्थायी जीएसटीआईएन जनरेट किए। इनमें से, 24 अन्य राज्यों में पंजीकृत करदाताओं के लिए 26 अस्थायी जीएसटीआईएन बनाए गए थे तथा 16 राजस्थान राज्य में पंजीकृत करदाताओं के लिए 16 अस्थायी जीएसटीआईएन बनाए गए थे। इन सभी प्रकरणों में, रोके गए माल के मालिक/प्रतिनिधि के रूप में करदाताओं ने लागू कर तथा शास्ति के भुगतान के लिए अपनी आईडी के साथ अपना जीएसटीआईएन उपलब्ध कराया था। तथापि, विभाग ने उनके इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्ट्रों में कर तथा शास्ति की देयता जोड़ने के लिए उपरोक्त निर्देशों के विपरीत अस्थायी जीएसटी आईडी बनाए।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि अन्य राज्यों में पंजीकृत 24 करदाताओं के संबंध में 26 अस्थायी पहचान पत्र विभाग को बनाने थे क्योंकि ये मामले राजस्थान के बाहर के क्षेत्राधिकारों से संबंधित थे और करदाताओं के मौजूदा जीएसटीआईएन का उपयोग करके मांग नहीं उठाई जा सकती थी, क्योंकि उनका क्षेत्राधिकार अन्य राज्यों के पास है।

राजस्थान राज्य में पंजीकृत 16 करदाताओं से सम्बंधित 16 अस्थायी आईडी के संबंध में यह कहा गया कि माल के स्वामित्व का दावा अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया गया था या माल का वास्तविक मालिक माल का दावा करने के लिए नहीं आया था, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में अस्थायी आईडी बनाये गए थे।

राजस्थान के 16 करदाताओं के संबंध में प्रस्तुत उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि दावे के समय, माल/वाहन के मालिकों द्वारा करदाताओं के जीएसटीआईएन प्रस्तुत किए गए थे। इसके अलावा, अस्थायी आईडी वास्तविक मालिक या माल के प्राप्तकर्ता के नाम से बनाई गई थी जो पहले से ही पंजीकृत करदाता थे।

समापन परिचर्चा के दौरान अतिरिक्त आयुक्त, एमईए ने स्वीकार किया कि जीएसटी के शुरुआती चरण में, राजस्व वसूली के लिए विभाग ने अस्थायी आईडी बनाई थी।

एक उदाहरणस्वरूप प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त ए, प्रवर्तन विंग- 1, जयपुर के दर्ज प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि एक ट्रक⁴⁴ को रोका गया था तथा एमओवी-06 जारी किया गया था। जब्त किये गए माल के मालिकों/प्रतिनिधियों ने कारण बताओ नोटिस के उत्तर में लागू कर तथा शास्ति के भुगतान के लिए अपनी आईडी के साथ अपना जीएसटीआईएन प्रस्तुत किया। आगे की जांच से यह भी पता चला कि उनके नियमित जीएसटीआईएन के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्ट्रों में कर तथा शास्ति की देनदारी जोड़ने के स्थान पर, विभाग ने पहले से पंजीकृत करदाताओं के लिए अस्थायी जीएसटी आईडी जारी की/बनाई।

राज्य सरकार ने बताया (अप्रैल 2025) कि करदाता राजस्थान राज्य से संबंधित है तथा माल का दावा अपंजीकृत करदाता द्वारा किया गया था एवं राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेख में जीएसटीआईएन तथा आधार की प्रति उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त, अस्थायी आईडी माल के वास्तविक मालिक या प्राप्तकर्ता के नाम पर बनाई गई थी जो पंजीकृत करदाता थे।

44 नंबर एचआर 73-2951।

(ii) अस्थायी जीएसटीएन पर बनाई गई देयता में सुधार न करना

प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो कॉमन पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलंब शुल्क या किसी अन्य राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है के लिए प्रपत्र जीएसटी पीएमटी-01 में इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर संधारित किया जाता है तथा उसके द्वारा देय सभी राशि उक्त रजिस्टर में डेबिट की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के अनुसरण में एक उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य देय राशि के साथ विभिन्न विवरणों को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक प्रकरण⁴⁵ में रोके गये वाहन⁴⁶ के लिए, 24 नवंबर 2020 को एक अस्थायी आईडी के समक्ष ₹ 6.45 लाख की राशि जमा करने के लिए प्रपत्र एमओवी-09 में मांग का आदेश जारी किया गया था। तदनुसार, 01 दिसंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक देयता स्वाते में देयता बनाई गयी थी। तत्पश्चात, एमओवी-09 के आदेश का निर्धारित अवधि के भीतर पालन न करने के कारण, 01 दिसंबर 2020 को ₹ 7.36 लाख की राशि जमा करने के लिए प्रपत्र एमओवी-11 में माल एवं वाहन की जब्ती तथा मांग का आदेश जारी किया गया था एवं तदनुसार एमओवी-11 की मांग के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक देयता स्वाते में भी देयता बनाई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक नकद स्वाते के अनुसार एमओवी-11 की मांग 01 दिसंबर 2020 को जमा की गई थी तथा 09 मार्च 2021 को समायोजित की गई थी। तथापि, अस्थायी जीएसटीआईएन का इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर 09 मार्च 2021 को ₹ 8.27 लाख की देयता दिसा रहा था, जिसमें एमओवी-09 जारी करके बनाई गई मांग भी शामिल थी। इसलिए, एमओवी-11 जारी करने के बाद एमओवी-09 की मांग को न हटाने के कारण, बोवेब पोर्टल पर देयता रजिस्टर का भाग II इसे बकाया देयता के रूप में दर्शाता रहा।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2025)।

सिफारिश 7: राज्य सरकार पहले से ही पंजीकृत करदाताओं के समक्ष अस्थायी पंजीकरण को रोकने के लिए और उन पंजीकृत करदाताओं के संबंध में, जिनका क्षेत्रीय नियंत्रण अन्य राज्यों के पास है, उनके पंजीकृत जीएसटीआईएन पर मांग जारी करने के लिए, जीएसटीएन के साथ इस मामले को उठा सकती है ताकि प्रणाली में सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।

2.4.12.8 माल एवं वाहन को रोके जाने पर लगाए गए कर तथा शास्ति की देयता के समायोजन में विलम्ब

वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार ने आवागमन में लगे माल के निरीक्षण के लिए वाहनों को रोकने तथा ऐसे माल एवं वाहनों को कब्जे में लेने, छोड़ने तथा जब्त करने की प्रक्रिया⁴⁷ जारी

45 वृत्त-बी, ईडब्ल्यू-II, जयपुर।

46 आरजे52 जीबी 0609।

47 परिपत्र संख्या 05/2018 दिनांक 26.04.2018 के द्वारा।

की। प्रक्रिया के पैरा 2(के) के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि उचित अधिकारी एमओवी-09/एमओवी-11 में निर्धारित कर, शास्ति तथा जुर्माना के भुगतान पर, प्रपत्र जीएसटी एमओवी-05⁴⁸ में एक आदेश द्वारा माल एवं वाहन को तुरंत छोड़ेगा। प्रपत्र जीएसटी एमओवी-09/एमओवी-11 में आदेश कॉमन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा आदेश से प्राप्त मांग को इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में जोड़ा जाएगा एवं मांग के भुगतान पर आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट करके ऐसे रजिस्टर को क्रेडिट किया जायेगा।

आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49(3) के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत देय किसी भी कर, ब्याज, शास्ति, शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 47 प्रकरणों में, वाहन को रोके जाने के बाद विभाग ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर, शास्ति तथा जुर्माना लगाया। तत्पश्चात्, माल या वाहन के मालिक/प्रतिनिधि या प्रभारी व्यक्ति ने चालान द्वारा उक्त कर, शास्ति तथा जुर्माना जमा कर दिया तथा राशि उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कर दी गई। तथापि, इन मामलों में विभाग द्वारा बनाई गई देयता का समायोजन 1 से 1710 दिनों की देरी से किया गया।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने (अप्रैल 2025) में 40 प्रकरणों के संबंध में बताया कि कोई राजस्व हानि नहीं हुई थी तथा करदाता ने समय पर कर तथा जुर्माना जमा कर दिया था। तथापि, पोर्टल की सिस्टम संबंधी कमी/तकनीकी खराबी के कारण, वाहन को छोड़े जाने की तारीख पर इसे समायोजित नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से देयता के समायोजन में होने वाली लंबी देरी को पूरी तरह से पोर्टल में तकनीकी त्रुटियों/खराबी का कारण नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे परिदृश्य में, करदाताओं द्वारा अपनी नियमित आपूर्तियों के समक्ष कैश लेजर शेष का उपयोग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। शेष सात प्रकरणों में जवाब प्रासंगिक नहीं था।

सिफारिश 8: राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि माल एवं वाहन को रोके जाने पर लगाए गए कर तथा शास्ति के समक्ष देयता को वाहन के मालिक/प्रभारी व्यक्ति द्वारा मांग का भुगतान करने के बाद, तुरंत समायोजित किया जाए।

2.4.12.9 ई-वे बिलों से संबंधित लेन-देन की निगरानी में अंतर-विभागीय समन्वय

ई-वे बिल सीधे तौर पर माल की आवाजाही से जुड़ा है तथा प्रवर्तन विंग को प्रवर्तन कार्य सौंपे गए थे। एनआईसी ने विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जनरेट की और प्रत्येक आयुक्तालय के प्रवर्तन वृत्तों को एनआईसी पोर्टल के माध्यम से उन रिपोर्टों तक पहुंच प्राप्त है। चूंकि ई-वे बिल

48 माल वाहन के लिए मुक्ति आदेश।

लेन-देनों पर कर की देयता करदाताओं द्वारा आवधिक रिटर्न के माध्यम से चुकाई जाती है, इसलिए क्षेत्राधिकारी यानी वृत्ताधिकारी, रिटर्न की जांच एवं निर्धारण के लिए उचित अधिकारी है। प्रवर्तन वृत्तों द्वारा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के उपयोग की प्रभावशीलता तथा विभाग में अंतर-विभागीय समन्वय किस सीमा तक मौजूद है, इसका लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया।

2.4.12.10 वाहनों के अवरोधन पर सूचना साझा करने का कोई तंत्र नहीं होना

आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 के अनुसार वाहनों के अवरोधन के दौरान जब भी कोई विसंगति पाई जाती थी, तो 31 दिसंबर 2021 तक कर तथा शास्ति लगायी जा सकती थी। अधिनियम की धारा 17(5)⁴⁹ के अनुसार, धारा 129 के प्रावधानों के तहत भुगतान किए गए किसी भी कर पर आईटीसी उपलब्ध नहीं होगी।

चयनित किये गए वृत्तों में दर्ज प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि वाहन को रोकने तथा करदाता पर कर एवं शास्ति लगाने के संबंध में कोई भी जानकारी संबंधित क्षेत्राधिकारी के साथ साझा या सूचित की जा रही थी या नहीं, इसके समर्थन में कोई पुष्टिकारक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। उपरोक्त के अलावा, क्षेत्राधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार के करदाता पर की गई ऐसी कार्रवाई के संबंध में, तंत्र कोई अलर्ट संदेश भी उत्पन्न नहीं करता था। इसलिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके द्वारा प्रवर्तन अधिकारी वाहन को रोकने एवं उस पर लगाए गए कर तथा शास्ति के संबंध में जानकारी संबंधित क्षेत्राधिकार के उचित अधिकारी के साथ साझा कर सकें। इस प्रकार, विभाग यह सुनिश्चित करने में असमर्थ था कि चूककर्ता करदाता सही ढंग से आईटीसी का लाभ उठा रहे हैं या नहीं तथा अपने कर दायित्वों को पूरा कर रहे हैं या नहीं।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने वृत्त ए, ईडब्ल्यू-1, जयपुर के संबंध में कहा (अप्रैल 2025) कि आम तौर पर प्रतिकरावंचन रोधी गतिविधियाँ मुखबिर से प्राप्त जानकारी के आधार पर की जाती हैं तथा विभाग स्तर पर ऐसी कोई कार्य योजना/तंत्र तैयार नहीं किया गया है। सात वृत्तों⁵⁰ के प्रकरणों में यह बताया गया कि अधिकांश प्रकरणों में, वाहन के प्रभारी व्यक्ति/चालक/माल के मालिक द्वारा अस्थायी आईडी बनाकर शास्ति जमा करायी गयी थी, इन अस्थायी आईडी का क्षेत्राधिकार, जारी करने वाले प्राधिकारी के अधीन है। उचित अधिकारी के स्तर पर जानकारी साझा करने की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है।

सिफारिश 9: विभाग को एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर विचार करना चाहिए जो क्षेत्राधिकारी को उन मामलों में जहाँ अधिनियम की धारा 129 तथा 130 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, समय पर एवं उचित कार्रवाई करने के लिए सचेत कर सके।

49 इस धारा को 01 नवंबर 2024 से प्रभावी रूप से संशोधित किया गया तथा इसे केवल धारा 74 के लिए लागू किया गया।

50 वृत्त बी उदयपुर, ए हनुमानगढ़, सी-ईडब्ल्यू-प्रथम, बी तथा सी ईडब्ल्यू-द्वितीय, ए ईडब्ल्यू-तृतीय जयपुर और वृत्त झुंझुनू।

2.4.12.11 प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में अनियमितताएं तथा दर्ज प्रकरणों की गलत रिपोर्टिंग

(i) प्रबंधन सूचना प्रणाली एक संगठित प्रणाली है जो प्रबंधन कार्यों को करने के लिए आवश्यक विशिष्ट जानकारी के रूप में डेटा एकत्र, संग्रहण तथा प्रसारित करती है। यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। इसमें विश्वसनीय ई-वे बिल डेटा तथा विभाग के उचित अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों का सहयोग शामिल है।

वृत्त बी तथा सी, प्रवर्तन विंग- द्वितीय, जयपुर के दर्ज प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, विभाग ने मांगे गये 100 दर्ज प्रकरणों में से केवल 61 प्रकरणों⁵¹ के अभिलेख उपलब्ध करवाये गये। तथापि, शेष 39 प्रकरणों को विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गए अतिरिक्त प्रकरणों से प्रतिस्थापित दिया गया था।

समीक्षा से पता चला कि इन वृत्तों की एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार, 370⁵² प्रकरण दर्ज किये गये, लेकिन 23 दर्ज प्रकरण फाइल⁵³ इन 370 प्रकरणों में शामिल नहीं थीं। इससे पता चलता है कि एमआईएस रिपोर्ट दर्ज प्रकरणों की स्थिति को सही ढंग से नहीं दर्शा रही थी।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। उत्तर प्रतीक्षित था। (अगस्त 2025)।

(ii) एमआईएस रिपोर्ट का कम उपयोग

ई-वे बिल प्रणाली का ऑफिसर मॉड्यूल ई-वे बिल के सत्यापन को सुगम बनाने एवं सत्यापन से संबंधित कार्य करने की सुविधा देता है। इसमें ई-वे बिल से संबंधित विभिन्न इंटेलिजेंस तथा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भी हैं और यह अधिकारियों को ई-वे बिल के सत्यापन, विश्लेषण तथा निगरानी से संबंधित सभी गतिविधियों को करने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है। एमआईएस मॉड्यूल की रिपोर्ट जे3⁵⁴ के अनुसार यह पाया गया कि मार्च 2022 के माह में ऑफिसर मॉड्यूल में पंजीकृत 654 उपयोगकर्ताओं में से, 356 उपयोगकर्ताओं (54.43 प्रतिशत) ने एक बार भी मॉड्यूल में लॉग इन नहीं किया। यह दर्शाता है कि प्रवर्तन दस्तों के अधिकारियों को छोड़कर, पर्यवेक्षण अधिकारी/उचित अधिकारी नियमित रूप से एप्लीकेशन/मॉड्यूल का उपयोग नहीं कर रहे थे, जिसके कारण एमआईएस रिपोर्टों का उपयोग कम हो रहा था।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2025)।

51 वृत्त बी, ईडब्ल्यू-द्वितीय, जयपुर-34 दर्ज किए गए प्रकरण और वृत्त सी, ईडब्ल्यू- द्वितीय, जयपुर-27 प्रकरण।

52 193 दर्ज किए गए प्रकरण, वृत्त बी, ईडब्ल्यू-द्वितीय, जयपुर एवं 177, वृत्त सी, ईडब्ल्यू-द्वितीय, जयपुर।

53 12 प्रकरण, सर्किल बी, ईडब्ल्यू-द्वितीय, जयपुर और 11 प्रकरण, वृत्त सी, ईडब्ल्यू-द्वितीय, जयपुर।

54 अधिकारी द्वारा रिपोर्टों का उपयोग।

सिफारिश 10: विभाग प्रवर्तन तथा नियमित वृत्तों के अधिकारियों को एमआईएस पोर्टल का व्यापक उपयोग करने एवं उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर सकता है।

2.4.12.12 एकीकृत केंद्रीय माल एवं सेवा कर पर प्रभाव

जीएसटी में सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, इत्यादि विभिन्न घटक शामिल हैं। इस अध्याय में शामिल लेखापरीक्षा आक्षेप केंद्र एवं राज्यों दोनों के राजस्व पर प्रभाव डालती हैं। इस अध्याय में उल्लिखित लेखापरीक्षा आक्षेपों का केंद्र सरकार के आईजीएसटी/सीजीएसटी राजस्व पर मौद्रिक प्रभाव **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

2.4.13 निष्कर्ष

ई-वे बिल माल की आवाजाही के लिए एक आवश्यक दस्तावेज़ है तथा इसे माल की आवाजाही से पहले उसका विवरण दर्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया के स्वचालन एवं मानकीकरण का उद्देश्य कर चोरी पर लगाम लगाना तथा जीएसटी संग्रह को बढ़ाना है। ई-वे बिल को ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के सभी अंतर-राज्यीय माल की आवाजाही के लिए 01.04.2018 से लागू किया गया था। राजस्थान में राज्य के भीतर ₹ 50,000 मूल्य के माल की स्वेप की आवाजाही के लिए ई-वे बिल को सीमा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने ई-वे बिल प्रणाली एवं राजस्व के संरक्षण में इसकी प्रभावशीलता की जांच करने के लिए अवधि 2018-19 से 2021-2022 के लिए 65 करदाताओं के 160 ई-वे बिलों का चयन किया। लेखापरीक्षा ने विभाग की प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता तथा प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए पांच प्रवर्तन वृत्तों एवं तीन नियमित वृत्तों का भी चयन किया तथा इन चयनित प्रवर्तन वृत्तों में 289 दर्ज प्रकरणों की जांच की।

लेखापरीक्षा विभाग के ई-वे बिल पोर्टल पर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड आधारित पहुँच की माँग की। तथापि, यह उपलब्ध नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि इन प्रकरणों में करदाताओं ने अपने जीएसटी रिटर्न में ई-वे बिल के अनुसार आपूर्ति का विवरण सही ढंग से प्रस्तुत किया था या नहीं।

लेखापरीक्षा में ई-वे बिलों की संवीक्षा में जांचे गये 65 करदाताओं में से 36 करदाताओं में अनुपालना संबंधित कुछ अनियमितताएँ पायी गयी, ये अनियमितताएँ निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करने, अपात्र करदाताओं द्वारा कंपोजीशन स्कीम में बने रहने तथा संदिग्ध वाहनों द्वारा किए गए लेन-देनों के लिए ई-वे बिल जारी करने संबंधित थीं। इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा ने पाया कि अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा माल के लिए ई-वे बिल जारी किये गए थे जिनका कर योग्य माल का मूल्य निर्धारित पंजीकरण सीमा से अधिक था तथा अमान्य पिन कोड का उपयोग करके भी ई-वे बिल जनरेट किये गए थे।

लेखापरीक्षा में विभाग की प्रवर्तन इकाइयों द्वारा किए गए निवारक तथा प्रवर्तन गतिविधियों में भी कमियाँ पाईं, जैसे कि अनुचित तरीके से आरोपण की गईं शास्ति, नीलामी में देरी के कारण राजस्व की हानि, आरजीएसटी तथा सीजीएसटी का गलत तरीके से लगाया जाना, आपूर्ति की जगह का गलत वर्गीकरण, पहले से पंजीकृत करदाताओं के लिए अस्थायी जीएसटीआईएन जारी करना, माल एवं वाहन को रोके जाने पर लगाए गए कर तथा शास्ति की देयता के समायोजन में विलम्ब तथा एमआईएस रिपोर्टों में विसंगतियाँ एवं उनका कम उपयोग।

तदनुसार, ई-वे बिल प्रणाली तथा विभाग की अनुपालन सत्यापन प्रणाली को मजबूत करने के लिए लेखापरीक्षा की निम्नलिखित सिफारिशें हैं:

सिफारिश 1: राज्य सरकार लेखापरीक्षा के लिए ई-वे बिल पोर्टल पर केवल-पठन योग्य पुहुंच प्रदान करने को सुनिश्चित कर सकती है।

सिफारिश 2: सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित कर सकती है कि पूर्वव्यापी रूप से पंजीकरण निरस्त करने वाले उचित अधिकारी, कर देयता का निर्धारण करें या जनरेट किये गये ई-वे बिलों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम निर्णय लें।

सिफारिश 3: राज्य सरकार एनआईसी के साथ यह सुनिश्चित कर सकती है कि निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि के बाद ई-वे बिलों के जनरेट करने से रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन बनाए गए हैं।

सिफारिश 4: राज्य सरकार एनआईसी के साथ मिलकर ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण लागू करने का प्रकरण उठा सकती है जिससे संदिग्ध वाहनों का उपयोग कर ई-वे बिल जनरेट होने से रोका जा सके।

सिफारिश 5: राज्य सरकार एनआईसी के साथ इस प्रकरण को उठा सकती है ताकि ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण शामिल किए जा सकें, जिससे अमान्य पिन कोड के साथ ई-वे बिल जारी करने को रोका जा सके।

सिफारिश 6: राज्य सरकार को अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं किये जाने के मामले की जांच करनी चाहिए तथा भविष्य में बेहतर अभिलेख रखरखाव एवं लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिए।

सिफारिश 7: राज्य सरकार पहले से ही पंजीकृत करदाताओं के समक्ष अस्थायी पंजीकरण को रोकने के लिए और उन पंजीकृत करदाताओं के संबंध में, जिनका क्षेत्रीय नियंत्रण अन्य राज्यों के पास है, उनके पंजीकृत जीएसटीआईएन पर मांग जारी करने के लिए, जीएसटीएन के साथ इस मामले को उठा सकती है ताकि प्रणाली में सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।

सिफारिश 8: राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि माल एवं वाहन को रोके जाने पर लगाए गए कर तथा शास्ति के समक्ष देयता को वाहन के मालिक/प्रभारी व्यक्ति द्वारा मांग का भुगतान करने के बाद, तुरंत समायोजित किया जाए ।

सिफारिश 9: विभाग को एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर विचार करना चाहिए जो क्षेत्राधिकारी को उन मामलों में जहाँ अधिनियम की धारा 129 तथा 130 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, समय पर एवं उचित कार्रवाई करने के लिए सचेत कर सके ।

सिफारिश 10: विभाग प्रवर्तन तथा नियमित वृत्तों के अधिकारियों को एमआईएस पोर्टल का व्यापक उपयोग करने एवं उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर सकता है ।